


भाखड़ा ब्यास
राष्ट्र गौरव


वार्षिक रिपोर्ट



2020-2021



भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड




भाखड़ा ब्यास
राष्ट्र गौरव


48वीं वार्षिक रिपोर्ट

48th Annual Report

2020-2021



भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड
Bhakra Beas Management Board



Bhakra Beas
Nation's Pride

VALUES

*Discipline-Hardwork-Operational Excellence
and
Professionalism*

अनुशासन-कठिन परिश्रम परिचालन श्रेष्ठता
और व्यावसायिकता

MISSION


*To keep our systems running
efficiently at the minimum cost.*

हमारी प्रणालियों को न्यूनतम लागत पर दक्षतापूर्वक
चालू रखना

VISION

To lead and be a trendsetter in Power Sector by establishing high standards in Operation & Maintenance, Renovation & Modernisation of Hydel Projects, Transmission System availability, Canal Systems and by exploiting new Hydro Power Potential with optimal utilization of existing infrastructure and resources.

जल विद्युत परियोजनाओं, पारेषण, नहर प्रणालियों के परिचालन एवं अनुरक्षण तथा नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण में और विद्यमान मूलभूत ढांचे तथा संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए नई जल विद्युत अंतः शक्ति का लाभ उठाने के लिए उच्च मानको की स्थापना में विद्युत क्षेत्र में अग्रणी रहना और एक ट्रेंड सैटर बनना ।



भारत सरकार
जल संसाधन विभाग



भाखड़ा बांध का सामने/नीचे से दृश्य
Bhakra Dam – Downstream View

“भाखड़ा नंगल परियोजना में कुछ आश्चर्यजनक है, कुछ विस्मयकारी है, कुछ ऐसा है जिसे देखकर आपके दिल में हिलोरें उठती हैं। भाखड़ा, पुनरुत्थानशील भारत का नवीन मन्दिर है और यह भारत की प्रगति का प्रतीक है”

Bhakra Nangal Project is something tremendous, something stupendous, something which shakes you up when you see it. Bhakra, the new temple of resurgent India, is the symbol of India's progress.”

बोर्ड के सदस्य (31.3.2021 को)
MEMBERS OF BOARD (AS ON 31.3.2021)



श्री पी.के. सक्सेना
(प्रतिनिधि भारत सरकार)
आयुक्त, इंडस, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली



श्री तन्मय कुमार, आईएएस
(प्रतिनिधि भारत सरकार)
संयुक्त सचिव/हाइड्रो, विद्युत मंत्रालय,
नई दिल्ली



श्री सर्वजीत सिंह, आईएएस
(प्रतिनिधि पंजाब सरकार)
सचिव, सिंचाई विभाग, पंजाब सरकार, चंडीगढ़



श्री संजय श्रीवास्तव
अध्यक्ष, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड, चंडीगढ़



श्री देवेन्द्र सिंह
(प्रतिनिधि हरियाणा सरकार)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन
विभाग, हरियाणा सरकार,
चंडीगढ़



श्री नवीन महाजन, आईएएस
(प्रतिनिधि राजस्थान सरकार)
सचिव, जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर



श्री राम सुभाग सिंह, आईएएस
(प्रतिनिधि हिमाचल प्रदेश सरकार)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, एमपीपी एवं विद्युत,
एनसीईएस विभाग,
हि.प्र. सरकार, शिमला



श्री हरमिन्द्र सिंह
सदस्य (विद्युत)
(पूर्ण कालिक सदस्य)
भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड, चंडीगढ़



श्री संजय श्रीवास्तव, अध्यक्ष,
(अतिरिक्त कार्यभार सदस्य/सिंचाई),
भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड, चंडीगढ़

वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड के सदस्य

अध्यक्ष	
श्री. डी.के. शर्मा	01.04.2020 से 17.07.2020
श्री. तन्मय कुमार	17.07.2020 से 11.11.2020
श्री. संजय श्रीवास्तव	11.11.2020 से 31.03.2021
सदस्य/प्रतिनिधि	
भारत सरकार	
श्री अनिरुद्धा कुमार	01.04.2020 से 29.05.2020
श्री तन्मय कुमार	29.05.2020 से 31.03.2021
श्री पी.के. सक्सेना	01.04.2020 से 31.03.2021
भागीदार राज्य	
पंजाब	
श्री ए.वेनू प्रसाद	01.04.2020 से 08.06.2020
श्री सरवजीत सिंह	08.06.2020 से 31.03.2021
हरियाणा	
श्री देवेन्द्र सिंह	01.04.2020 से 27.10.2020
श्री अनुराग रस्तोगी	27.10.2020 से 29.10.2020
श्री देवेन्द्र सिंह	30.10.2020 से 31.03.2021
राजस्थान	
श्री नवीन महाजन	01.04.2020 से 31.03.2021
हिमाचल प्रदेश	
श्री राम सुभाग सिंह	01.04.2020 से 31.03.2021
सदस्य/विद्युत	
श्री हरमिन्द्र सिंह	01.04.2020 से 31.03.2021
सदस्य/सिंचाई	
श्री गुलाब सिंह नरवाल	01.04.2020 से 09.09.2020

विषय सूची
CONTENTS

अध्याय संख्या Chapter Page No.	पृष्ठ
1. प्रस्तावना Introduction	8-12
2. बोर्ड के निर्णय Decisions of the Board	13-54
3. संगठनात्मक व्यवस्था Organizational Set-up	55-68
4. वित्तीय कार्य-निष्पादन Financial Performance	69-95
5. परिचालन एवं कार्य-निष्पादन Operational Performance	96-113
6. परिचालन एवंअनुरक्षण Operation & Maintenance	114-144
7. जल-शक्ति अध्ययन Water- Power Study	145-149
8. पुरस्कार एवं सम्मान Honour and Awards	150-152
9. पर्यावरण प्रबन्ध Environment Management	153-158
10. मानव संसाधन विकास Human Resource Development	159-169
11. परामर्शी सेवाएं Consultancy Services	170-171
12. सूचना का अधिकार Right to Information	172-174



अध्याय-1

Chapter-1

प्रस्तावना

Introduction

1.1 बीबीएमबी-उत्पत्ति

- भाखड़ा-नंगल परियोजना का कार्य स्वतंत्रता के तुरंत बाद तत्कालीन पंजाब एवं राजस्थान राज्यों के संयुक्त सहयोग से शुरू किया गया ।
- पंजाब के पुनर्गठन के बाद, **भाखड़ा-नंगल** परियोजना के प्रशासन, परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अंतर्गत 1 अक्टूबर, 1967 को **भाखड़ा प्रबंध बोर्ड** का गठन हुआ था ।
- पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के उपबंधों के अनुसार **ब्यास परियोजनाओं** के कार्य **ब्यास निर्माण बोर्ड** को सौंपे गए थे । ब्यास परियोजनाओं के पूरा होने पर इन्हें **15 मई, 1976** को **भाखड़ा प्रबंध बोर्ड** को स्थानान्तरित कर दिया गया और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के उपबंधों के अनुसार इसका नाम बदल कर **भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड** कर दिया गया ।

1.2 कार्य

- भाखड़ा-ब्यास परियोजनाओं का प्रशासन, परिचालन एवं अनुरक्षण।
- भाखड़ा-ब्यास परियोजनाओं से पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों को जल आपूर्ति का नियमन।
- भाखड़ा-ब्यास परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की आपूर्ति का नियमन।
- हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान राज्य की सरकारों के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कार्य।
- भारत सरकार ने वर्ष 1999 में जल विद्युत परियोजनाओं तथा सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्र में इंजीनियरिंग और संबद्ध तकनीकी परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने और निष्पादन के अतिरिक्त कार्य सौंपे गए।
- विद्युत मंत्रालय के दिनांक 22, अक्टूबर, 2019 के पत्र क्रं.5-4/1/2019-बीबीएमबी द्वारा 2 X 20 मेगवाट बग्गी विद्युत गृह के निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य सौंपा गया ।

1.3 विद्युत खण्ड

सामान्य समीक्षा

विद्युत खण्ड को बीबीएमबी के विद्युत घरों, पारेषण प्रणाली तथा प्रणाली भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) के प्रशासन, परिचालन एवं अनुरक्षण तथा हाइड्रो इलैक्ट्रिक

परियोजनाओं के क्षेत्र में परामर्शी सेवाओं का कार्य सौंपा गया है।

अधिष्ठापित क्षमता

(31.3.2021 की स्थिति अनुसार)

विद्युत घर	क्षमता	मेगावाट
भाखड़ा (दायां किनारा)	5x157	785
भाखड़ा (बायां किनारा)	2x108+3x126	594
गंगुवाल	1x27.99+2x24.20	76.39
कोटला	1x28.94+2x24.20	77.34
देहर	6x165	990
पौंग	6x66	396
	योग	2918.73

रूफ टॉप सौर

स्थान	क्षमता (केडब्ल्यूपी)
चण्डीगढ़	175
जमालपुर	130
जालंधर	125
संगरूर	60
दिल्ली	80
नरेला	20
जगाधरी	70
पानीपत	36.3
कुरुक्षेत्र	19.8
भिवानी	233.33
हिसार	49.5
गंगुवाल	100
नंगल	950
तलवाड़ा	300
कुल अधिष्ठापित क्षमता	2348.93 केडब्ल्यूपी

पारेषण प्रणाली

(31.3.2021 की स्थिति अनुसार)

पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेश-चण्डीगढ़ तथा दिल्ली तक फैली हुई बीबीएमबी पारेषण प्रणाली, उत्तर क्षेत्रीय पावर ग्रिड के साथ एकीकृत रूप में परिचालित होती है। बीबीएमबी की पारेषण प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं:-

वोल्टेज स्तर	उप-केन्द्रों की संख्या	लाइन की लम्बाई (सर्किट किमी)
i) 400 केवी,	03	573.95
ii) 220 केवी,	17	2993.54
iii) 132 केवी,	02	21.72

iv) 66 केवी,	02	115.50
योग	24	3704.71

प्रणाली भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी)

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के प्रणाली भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) को चौबीस घंटे बीबीएमबी की पारेषण और उत्पादन सम्पत्ति की निगरानी, परिचालन और नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई है ।

1.4 सिंचाई खण्ड **सामान्य समीक्षा**

सिंचाई खण्ड को निम्नलिखित परियोजना घटकों के प्रशासन, अनुरक्षण तथा परिचालन का कार्य सौंपा गया है :

I भाखड़ा-नंगल परियोजना

- क) भाखड़ा बांध और जलाशय तथा संबद्ध कार्य, जिसमें नंगल कार्यशाला तथा नंगल टाउनशिप चिकित्सालय, विद्यालय, विश्राम गृह इत्यादि शामिल हैं।
ख) नंगल बांध तथा नंगल जल-विद्युत चैनल ।

II ब्यास परियोजना

क) यूनिट-1 (बीएसएल परियोजना)

ब्यास सतलुज लिंक परियोजना, जिसमें पंडोह बांध, पंडोह-बगी सुरंग, सुन्दरनगर जल-विद्युत चैनल, संतुलन जलाशय, सुन्दरनगर-सतलुज सुरंग तथा संबंधित सिविल कार्य तथा सुन्दरनगर और पण्डोह की टाउनशिप चिकित्सालय, विद्यालय, विश्राम गृह इत्यादि शामिल हैं ।

ख) यूनिट-11 (पौंग स्थित ब्यास बांध)

पौंग स्थित ब्यास बांध जिसमें जलाशय, आउटलेट कार्य, स्पिलवे तथा संबद्ध कार्य और तलवाड़ा टाउनशिप शामिल हैं ।

राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना (एनएचपी)

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड ने भाखड़ा तथा पौंग जलाशयों और नहर नैटवर्क के अधिकतम उपयोग के लिए अंतर्वाह पूर्वानुमान (अर्थात अल्पावधि 3 दिन और मध्यावधि 7 से 10 दिन) बाद पूर्वानुमान हेतु चण्डीगढ़ में अर्थ रिसीविंग स्टेशन (ईआरएस) स्थापित किया है ।



अध्याय-2 Chapter-2

बोर्ड के निर्णय Decisions Of The Board

ॐ ॐॐॐ ॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐ
ॐ ॐॐ ॐ ॐॐ
ॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐ ॐ ॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐ ॐ ॐॐॐॐॐ
ॐॐ ॐॐ ॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ ॐ ॐॐॐ ॐॐ ॐॐॐ ॐॐ ॐॐॐ ॐॐ
ॐ ॐॐॐ ॐॐ ॐ ॐॐॐॐ ॐॐ ॐ ॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐ ॐ
ॐॐॐ ॐॐॐ ॐ ॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐ ॐ ॐ ॐ
ॐॐॐॐ ॐॐॐ ॐॐॐॐॐ ॐ ॐॐ ॐ ॐॐॐॐ ॐॐ ॐॐॐॐॐॐ
ॐॐॐॐॐॐॐ ॐ ॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐ ॐ ॐॐॐॐॐ ॐॐॐ ॐ ॐ
ॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐॐॐ ॐ ॐॐॐॐ ॐ ॐ ॐ ॐॐ ॐॐॐॐॐॐ
ॐ ॐॐ ॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐ ॐ ॐॐॐ ॐॐॐ ॐ ॐ ॐॐॐॐॐ
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐ ॐ ॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐ ॐ ॐॐ ॐॐॐॐॐॐ
ॐॐॐॐॐॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐॐॐॐ ॐ ॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐ ॐॐ
ॐॐॐॐॐॐॐ ॐ ॐ ॐॐॐॐॐ ॐॐॐ ॐ ॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐ
(ॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐ) ॐ ॐ ॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐ, ॐॐॐॐ
ॐॐॐॐॐॐॐ, भारत सरकार, ॐ ॐॐॐॐॐ ॐॐ ॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐ
ॐ ॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐ ॐॐ ॐ ॐ ॐ “ॐॐॐॐॐॐॐ ॐ
ॐॐॐ ॐॐॐॐ ॐ ॐॐॐॐॐॐ ॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐ ॐ ॐ निर्देश
ॐॐॐ ॐ ॐॐॐॐ ॐॐॐॐ ॐ ॐॐॐ ॐॐॐॐ ॐॐॐॐ ॐॐॐॐ ॐॐ
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ ॐ ॐॐॐ ॐॐॐ”

ॐ ॐ ॐॐॐॐ/ॐॐॐॐॐॐॐ ॐ ॐॐ ॐ ॐ ॐॐॐॐॐॐ
ॐॐॐॐ ॐ ॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐ ॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐ ॐ ॐॐॐॐॐ
ॐॐॐ ॐ ॐॐॐ ॐॐॐ ॐॐ ॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐ ॐ
ॐॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐ ॐ ॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐ ॐ ॐॐ
ॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐ ॐॐॐॐ ॐॐ ॐ ॐॐ ॐ ॐ ॐॐॐॐॐॐॐ ॐ
ॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐ ॐ, ॐॐ ॐॐ ॐॐॐॐ ॐॐ ॐॐॐॐ
ॐॐॐ ॐॐॐ

ॐ ॐॐॐॐ ॐ ॐॐॐॐॐॐ ॐ ॐॐॐॐ ॐ ॐ ॐॐॐॐॐ
ॐॐॐ ॐॐ ॐ ॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐ ॐॐॐ ॐॐॐ ॐ ॐॐॐॐॐॐ
ॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐ ॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐ ॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐ ॐ
ॐ ॐॐॐ ॐ ॐॐ ॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐ ॐ ॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐ ॐ
ॐॐॐॐॐॐ/ॐॐॐॐॐॐॐ ॐ ॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐ ॐ ॐॐॐॐ
ॐॐॐॐ ॐ ॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐ ॐॐ ॐ ॐॐॐॐॐ ॐ
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ ॐ ॐॐॐ ॐ ॐॐ ॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐ
ॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐ ॐ ॐॐॐॐॐॐॐ ॐ ॐॐॐॐॐॐॐ
ॐ ॐॐ ॐॐॐॐॐॐ/ॐॐॐॐॐॐॐ ॐ ॐॐॐॐॐॐ ॐ ॐॐॐॐॐॐ
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐ ॐॐॐ ॐ ॐॐ ॐॐॐॐ ॐॐॐॐ

ॐ ॐॐॐॐॐ 235.16

ॐॐॐ ॐॐॐ ॐॐॐॐ ॐॐॐॐ ॐॐॐ ॐॐॐ, ॐॐॐ
ॐॐॐॐॐॐॐ, ॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐ, ॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐ
15 ॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐ ॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐ ॐॐॐॐ
ॐॐॐॐॐॐॐ

00000000 00 000000000 0000- 00000000
 000000000000 00 00 0000
 0000000000/00000000000 000000 अंतर
आवासीय/00000/00000000 0000000000
 00000000000 000 000 0000 00 0000 00 0000
 000 0000-000000000
 000000/000000 00 0000000000 00 0000000000
 000000000 000
 00000/00000000 00 000 00 000000000 00 0000
 00000000 00 0000000000 0000 00 0000000 0000 0000000
 00 00000 000 0000000/0000000 00 0000000 0000
 00 000 0000000000 0000000000 00 000000000 0000
 0000000, 0000000000 000 000000000 00 0000000000
 00000000 00 0000000 0000000 0000000000 0000 000000 00
 00 000
 000000-0000000 00 0000000 0000000000 000
 000000 0000000000 00 000000 00 0000000000 00 000000

बोर्ड की दिनांक 11.12.2020 को आयोजित 236वीं बैठक
00 0000000 236.02

0000 000000 000000 00000 00000, 0000000 0000000
 000 2 00000000 00000000 00000000 000 000000
 00000000, 0000000000 00 000000000000
 000000 00000, 0000000000 00 00000000000 00
 0000000000 00000 000 000000 00000 00 000000 00 231000 00
 233000 0000000 000 000 00 0000000000 00 0000000000 0000
 000 00000 000000 000000 00000 00000, 0000000 0000000 000
 02 00000000 00000000 00000000 000 000000 00000000 00
 0000000000000 00 000 00000 0000000 0000000 09-07-2020 00
 0000000 0000 00 00 00 00 0000000000000000 0000 0000 00
 0000000 L-1 00 00 000000 3.36 000000 000000 00 00 11
 00.00. 00 000 000000 00 0000000 00 000 0000000 0000000
 00 00000000 00 0000000 0000000000 0000000 00000 000000 0
 0000000000 000 000000 00 00000000, 000000000000 00 0000
 00 0000000 00000 0000 00 00 02 00000000 00 000 000 00
 0000000 00000 0000000000 00 000 000000/00000 00000 00
 0000000000 00000 00000, 00 00000 00 00000000000 00 000
 000000 00 000 000000 00 000000 00000 00 0000000 00 00
 00000 000000000 000000000 00 00000000000 000 0000000000
 00000 000 00000 500 0000000000 00 00000 02 00000000 00
 00 000000 00 00000 000 000000 00000000000 00 00000000
 00 000 000000 2019 00 00000 00 00 000000000000000 00000
 000000000 0000 00000000 00000000000 000000 00 00000000
 00000 00 00000 00 00 00000000000 0000 0000000000 00000
 0000 0000 000000000000 00 0000000000, 0000000000 000000 00
 00000000 00000 00 000000 00 000000 00 00000 00 25 000000
 00 000 L-1 0000000000 00 00000 00000000 000000 00 रु 3.36

05-08-2005 00 00 000000 000
0000000, 000000000 000 000000 0000000 0000000
00 000 00000 000 00 0000000 00000000 00 000000000000
0000 00 000000, 2005 00 000 00 00 000 0000000000 0000
00000000000 00 000 00000 000000 0000000 00 000 0000
000 000000 00000

000000000000000 00 000000 00000, 000000 00
0000000 21-10-2005 00 000 000000 00 190000 00000 000
0000000 000000000 00 000 0000000 0000000 00 0000000
0000 00 000 000000 00 0000000 000000000 00 000000000
0000 0000 00 0000000 000000 00 00-2 00000 0000
0000000000 000000000000000 00 000000 0000000 00 0000000
0000 00000 000 00 0000000 00000 0000 000 000 0000000
0000000000 00000000000 00000000 0000000000 00 0000 0000
0000 000, 00 0000000 0000000000 0000000000 00 0000000
000000 00 00000000 00 00000000 00000000 0000000000
00000000000 00 00000000 0000 00000 0000, 000000 0000000 00
0000000000 00000000 00000 00 00000000 0000 00 00000000
0000 0000 0000000000 000000 00000 00000000 00000000 15-11-
2005 00 00000000 000000000 00 00000 00 000 0000000
00000000 00000 00 00000000, 00 00000000000 00000000000 00
000000 00000 00 00000000 00000000 0000000 00 000000 00
00000000 0000000000 00 00000 00000 0000 00 0000 00000 0000
0000000 00 0000: 000000000 00000 00 000 0000000000 00
000 0000000 00000 0000000 00 00000 0000000 00 00000000
0000000000000 00 00000 00 00 000000000/00000 0000000 00
000 15.5 (00) 00 0000000 0000000 0000000000 0000000
000000000 00 000000 0000000 0000 00000 000000 0000 00000
43.0 “0000000000” 00 00000000 00000 000000 00000

00 00000000 00000000000 00000000000 00 0000000000
00000000 0000 00 00000000 0000 00 000000000 00000 00000 00
00 00000000 00000000 00000 00000 0000 00000 0000000 29-09-
2006 00 00000 00000 00000000 00 000000000000000 0000 0000000
000000000 00 00000000 00000000000 00000000000 000000 00
00000 00000000000 00000000000 0000, 0000000 000000000 00
0000000000 00 00000000000 00000000 00 0000000 0000 000000
00000 00000 0000 00 0000000000 00 00000000000 00 000000000
00000/000000 00000 00000 00 0000000000 00 00000 00 00000
000000000 00 0000000000 00000 000000 00 00000000000 00
000000 0000 0000000000 00 00000000 00 000000 0000000
00000000000 00000000 00000 00 00000 0000 2003 0000 0000000
00 00000000 00 0000 0000000 00 0000000000 00000000 24-10-2007
00 0000000 00 1970000 00000 0000 0000 00000 0000000000
0000000000 00 0000 0000000000 000000 00000 0000000000
00000000000 00000000000 00 00000000 00 00000000000000 0000000
00 00000 00000 0000 00 0000 0000000 0000000 000000 00000 00

- 3) आगे, यदि उस अस्पताल में कोई एसएमओ या समकक्ष उपलब्ध नहीं है तो उस अस्पताल में कार्यरत एमओ या समकक्ष रैंक के डॉक्टर जिसकी सेवा अवधि अधिक है, को उस अस्पताल के पीएमओ का पदभार सौंपने पर विचार किया जाएगा।
- 4) यह प्रभार बिना किसी अतिरिक्त परिश्रमिक के डॉक्टर के अपने वेतन में दिया जाएगा।
- 5) पीएमओ के पद का प्रभार सौंपने से संबंधित मामला सचिव, बीबीएमबी के कार्यालय को, संबंधित मुख्य अभियन्ता द्वारा पूरे विवरण सहित भेजा जाएगा, जो इस मामले पर कार्रवाई करके अध्यक्ष, बीबीएमबी की स्वीकृति अनुसार आदेश जारी करेंगे।
- 6) उपरोक्त क्रम संख्या 1, 2, 3 में निहित के बावजूद, अध्यक्ष, बीबीएमबी को यह अधिकार होगा कि वह बीबीएमबी के किसी भी अस्पताल के पीएमओ के प्रभार को सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण/प्रत्यावर्तन इत्यादि के आधार पर किसी भी अन्य परियोजना के अस्पताल के पीएमओ को आगामी व्यवस्था होने तक पीएमओ का पदभार सौंप सकेगा।
- 7) किसी भी विवाद के मामले में अध्यक्ष, बीबीएमबी का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में कोई कानूनी दावा नहीं किया जाएगा।

मद संख्या 236.09 (ए)

भागीदार राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जल बोर्ड को जल आपूर्ति की स्थिति।

बोर्ड के सदस्यों ने स्थिति को नोट किया ।

236.09

भागीदार राज्यों द्वारा उपलब्ध पानी का बेहतर और सविवेक उपयोग करने बाबत।

इस संदर्भ में उन्होंने आगे सूचित किया कि आईएमडी द्वारा उत्तर पश्चिम क्षेत्र सामान्य मानसून का 107 % पूर्वानुमान था जोकि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में उपलब्ध था, जबकि आईएमडी के अनुसार इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में मानसून की 26% कमी तथा लाहौल स्पीती के कैचमेंट क्षेत्र में 75% मानसून की कमी देखी गई है। मानसून की कमी के कारण दोनों जलाशयों का अच्छी तरह से प्रबंधन किया गया और 85% जीवित भंडारण क्षमता से भरा गया। उन्होंने आगे कहा कि दोनों जलाशयों की क्षमता केवल एक तिहाई (1/3rd) भाग भागीदार राज्यों की मांग और दो तिहाई 2/3 मांग मानसून बर्फ पिघलने और सर्दियों की बारिश से पूरी होती है।

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□
 □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□
 □□□□ □□□□□, □□ □□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□
 □□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□
 □□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□
 □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□

1) पौंग विद्युत गृह की सभी 6 हाइड्रो उत्पादन इकाइयों की 66 मेगावाट से 75 मेगावाट क्षमता के लिए नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, उन्नयन व आयु विस्तार के लिए राशि ₹402 करोड की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नलिखित सहित प्रदान करना:-

- क) टरबाइन, पूर्ण जनरेटर, एक्सीएशन सिस्टम, 11kv बस डक्ट, ऑयल प्रेशर सिस्टम कंट्रोल व मानीटरिंग सिस्टम को बदलना और एससीएडीए सिस्टम, केबलिंग आदि उपलब्ध कराना।
 - ख) वर्तमान प्रेशर रिलीफ वाल्व (पीआरवीज) की सील व फास्टनर को नये के साथ बदलते हुए पूरी मरम्मत।
 - ग) 02 नंबर नये 84 एमवीए कंसीडरिंग 0.9पीएफ 11/220 केवी जनरेटर ट्रांसफॉर्मर की खरीद।
2. आवश्यकता के अनुसार बैलेंस ऑफ प्लाट लोड फ्लो अध्ययन और फाल्ट लेवल एनालाइज के बाद सविचयार्ड को बदलना।
3. विस्तृत आरएमयू व एलई कार्य के लिए परामर्शी फर्म को अनुबंधित करना।
4. ई-रिवर्स ऑक्शन के प्रावधानों के साथ नीलामी का तरीका स्थानीय प्रतिस्पर्धी नीलामी (एलसीवी) का होना चाहिए
5. नीलामी कागजातों को तैयार करते समय निम्नलिखित भी निर्दिष्ट होगा:-
- क) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी 'मैक इन इंडिया' दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप।
 - ख) एससीएडीए प्रणाली के लिए भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी दिशा निर्देशों की अनुपालना।
 - ग) कार्य को समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए समान कार्यों का निष्पादित करने में ठेकेदार के अनुभव के संबंध में सख्त पूर्व योग्यता का प्रावधान ।

□□ □□□□□□ 237.04

□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□-□□□ □□□□□□ □□□
 □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□
 □□□□ **22** □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□

□□ □□□□□□ 237.05

₹ 21360782/- ... ₹ 77256351/-

22-06-2019

19.458

22

40

(₹7.72)

237.05

₹7.72

40

□□□□□□ □□□□□-□□□□□□ □□ □□□□□□, □□□□□ □□
 □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□
 □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□ □□ □□:-

1. उत्तर रेलवे को नंगल डैम से मुकेरिया वाया तलवाड़ा नई रेलवे लाइन के निर्माण हेतु हस्तांतरण के समय लागू डीसी रेट पर सेल डीड के आधार पर बीबीएमबी को 22 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण का सैद्धांतिक अनुमोदन।
2. भारत सरकार के प्रचलित निर्देशों के अंतर्गत बीबीएमबी को रेलवे के प्रस्तावित निर्देशों के अंतर्गत भूमि के प्रस्तावित हस्तांतरण हेतु विद्युत मंत्रालय को मामला भेजने के लिए अध्यक्ष, बीबीएमबी को अधिकृत किया गया। इसके उपरांत भारत सरकार के अनुमोदनोपरांत एजेंडा नोट परिशिष्ट डी-5 में उल्लेखित नियम एवं शर्तों के अधीन भूमि का उत्तर रेलवे को हस्तांतरित किया जाएगा।
3. नंगल डैम - तलवाड़ा - मुकेरिया हेतु नई रेल लाइन के निर्माण के लिए बीबीएमबी द्वारा हस्तांतरित भूमि के विरुद्ध रेलवे द्वारा भुगतान के साथ मूलधन की अदायगी में विलम्ब पर ब्याज घटक के कारण रेल मंत्रालय से 77256351/- रूपये की राशि वसूलने के लिए विद्युत मंत्रालय से मामला उठाने के लिए अध्यक्ष, बीबीएमबी को प्राधिकृत किया गया ।

□□ □□□□□□ 237.06

□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ **की** □□□□□ □□□□□
 □□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□
 □□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□
102072 □□□ □□ □□□□□ □□□□□ **76.88** □□□□□□□,
 □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□ □□□□□□□
 □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□
 □□□□, □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□
 □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□.□
 □□□□□□□ **225** □□□□□□□ 2-3-2021 □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□
 □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□
 □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□
 □□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□
 □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□
 □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
 □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ (□□
 □□□ □□) □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□
 □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□-□□□□ □□□□□□□□ □□□□□
 □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□
 □□□□□ □□□□□□□□□□□□ (□□ □□□ □□) □□ □□□□ □□□□□ □□□□
 □□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□
 □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□
 □□□


□□ □□□□□ □□□ □□□□□ (□□□□□□□□□□) □□ □□□□□□
 □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□

संगठनात्मक व्यवस्था
Organisational
Set-Up

3.1 बीबीएमबी की जनशक्ति

दिनांक 31.03.2021 को सम्पूर्ण बीबीएमबी के लिए कुल स्वीकृत पदों तथा कार्यरत कार्मिकों की संख्या निम्नानुसार है:-

स्थापना की श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिक
समूह क व ख	2125	1220
समूह ग	4761	2497
समूह घ	5185	2838
योग	12071	6555



3.2 बीबीएमबी सचिवालय

अध्यक्ष, भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड, बोर्ड के मुख्य कार्यपालक हैं और दो पूर्णकालिक सदस्य, अर्थात् सदस्य (सिंचाई) और सदस्य (विद्युत) उनकी सहायता करते हैं।

क. स्टाफ की संख्या

दिनांक 31.3.2021 को बीबीएमबी सचिवालय, चण्डीगढ़ तथा उप सचिव/समन्वय कार्यालय, नई दिल्ली सहित केन्द्रीय कार्यालय में संस्वीकृत एवं नियुक्त स्टाफ की संख्या निम्नानुसार है:-

स्थापना की श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिक
समूह-क	72	56
समूह-ख	83	62
समूह-ग	141	94
समूह-घ	141	54
योग	437	266

ख. दिनांक 31.3.2021 को बीबीएमबी सचिवालय के विभिन्न अनुभागों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आबंटन :-

श्रेणी	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	हिमाचल प्रदेश	केन्द्र सरकार	पंजाब पावर यूटिलिटीज़	हरियाणा पावर यूटिलिटीज़	राजस्थान पावर यूटिलिटीज़	एचपीएसईबीएल	बीबीएमबी				
										नियमित	संविदा आधार पर	तदर्थ	अन्य	कुल योग
अधिकारी (सभी)	6	16	3	0	1	15	7	0	4	8	लागू नहीं			60
कर्मचारी (सभी)	32	25	7	0	0	21	8	1	6	106	लागू नहीं			206
योग	38	41	10	0	1	36	15	1	10	114	0			266


3.3 सिंचाई खण्ड

सिंचाई खण्ड के तीन परियोजना स्थलों का नेतृत्व मुख्य अभियन्ता/भाखड़ा बांध, नंगल, मुख्य अभियन्ता/ब्यास बांध, तलवाड़ा और मुख्य अभियन्ता/ब्यास सतलुज लिंक, सुन्दरगनर करते हैं। जल विनियम मामलों के लिए निदेशक/जल विनियम, नंगल उत्तरदायी हैं।

बीबीएमबी (सिंचाई खण्ड) की संगठनात्मक व्यवस्था Organisational Set-Up Of BBMB (Irrigation Wing)

सदस्य /सिंचाई
Member/Irrigation

सदस्य/सिंचाई के उप सचिव
Dy. Secretary to
Member/Irrigation



क. स्टाफ की संख्या

दिनांक 31.3.2021 को नियमित स्थापना के स्वीकृत पदों तथा नियुक्त स्टाफ की संख्या निम्नलिखित है:-

स्थापना की श्रेणी	स्वीकृत पदों की	कार्यरत कार्मिक
-------------------	-----------------	-----------------

	संख्या	
समूह-क	210	115
समूह-ख	646	308
समूह-ग	2614	1499
समूह-घ	3387	2057
योग	6857	3979

ख. दिनांक 31.3.2021 को विभिन्न संगठनों से नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का आबंटन


श्रेणी	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	हिमाचल प्रदेश	केन्द्र सरकार	पंजाब पावर यूटिलिटीज़	हरियाणा पावर यूटिलिटीज़	राजस्थान पावर यूटिलिटीज़	एचपीएसईबीएल	बीबीएमबी				
										नियमित	सविदा आधार पर	तदर्थ	अन्य	कुल योग
अधिकारी (सभी समूह)	40	36	15	10	0	2	0	1	19	15	0			138
कर्मचारी (सभी समूह)	1338	103	11	17	1	20	8	3	44	2294	0			3839
योग	1378	139	26	27	1	22	8	4	63	2309	0			3979

3.4 विद्युत खण्ड

बीबीएमबी के विद्युत खण्ड के अंतर्गत तीन मुख्य अभियन्ता अर्थात: मुख्य अभियन्ता/पारेषण प्रणाली, चण्डीगढ़, मुख्य अभियन्ता/उत्पादन, नंगल और मुख्य अभियन्ता/प्रणाली परिचालन, चण्डीगढ़ क्रमशः पारेषण, उत्पादन तथा प्रणाली परिचालन खण्ड का नेतृत्व करते हैं।

बीबीएमबी विद्युत खण्ड की संगठनात्मक व्यवस्था

Organisational set up of BBMB (Power Wing)



क. स्टाफ की संख्या

दिनांक 31.3.2021 को नियमित स्थापना के स्वीकृत पदों तथा कार्यरत स्टाफ की संख्या निम्नलिखित है:-

स्थापना की श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिक
समूह-क	296	223
समूह-ख	641	335
समूह-ग	1838	826
समूह-घ	1564	676
योग	4339	2060

ख. दिनांक 31.3.2021 को विभिन्न संगठनों से नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का आबंटन

श्रेणी	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	हिमाचल प्रदेश	केन्द्र सरकार	पंजाब पावर यूटिलिटीज़	हरियाणा पावर यूटिलिटीज़	राजस्थान पावर यूटिलिटीज़	एचपीएसईबीएल	बीबीएमबी				
										नियमित	संविदा आधार पर	तदर्थ	अन्य	कुल योग
अधिका री (सभी समूह)	0	4	1	1	0	82	73	33	21	48	0			263
कर्मचा री (सभी समूह)	125	34	1	1	0	156	107	73	9	1291	0			1797
योग	125	38	2	2	0	238	180	106	30	1339	0			2060


3.5 वित्त, लेखे तथा लेखा परीक्षा

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी बोर्ड के “निजी खाता लेखा” के परिचालन के लिए तथा लेखों से सम्बन्धित आवश्यक अनुदेश जारी करने के लिए प्रधान अधिकारी हैं। वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी का कार्य तिहरा है, अर्थात्:

- क) सभी वित्तीय मामलों में बोर्ड का वित्तीय सलाहकार।
- ख) बोर्ड की आय तथा व्यय लेखे संकलित करने के लिए मुख्य लेखा अधिकारी तथा
- ग) बोर्ड के वित्तीय लेन-देन की आन्तरिक लेखा-परीक्षा तथा संवीक्षा के लिए मुख्य आन्तरिक लेखा-परीक्षक।

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी बीबीएमबी की संगठनात्मक व्यवस्था

Organisational Set-Up Of FA & CAO, BBMB



क. स्टाफ की संख्या

दिनांक 31.03.2021 को नियमित स्थापना के स्वीकृत पदों तथा नियुक्त कार्मिकों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

स्थापना की श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिक
समूह-क	35	30
समूह-ख	142	91
समूह-ग	168	78
समूह-घ	93	51
योग	438	250

ख. दिनांक 31.03.2021 को विभिन्न संगठनों से नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का आबंटन

श्रेणी	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	हिमाचल प्रदेश	केन्द्र सरकार	पंजाब पावर यूटिलिटीज़	हरियाणा पावर यूटिलिटीज़	राजस्थान पावर यूटिलिटीज़	एचपीएसईबीएल	बीबीएमबी				कुल योग
										नियमित	संविदा आधार पर	तदर्थ	अन्य	
अधिकारी (सभी समूह)	2	10	0	4	2	7	4	0	0	1	0	0	0	30
कर्मचारी (सभी समूह)	57	26	1	3	3	30	10	1	2	87	0	0	0	220
योग	59	36	1	7	5	37	14	1	2	88	0	0	0	250

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड की वित्तीय समीक्षा

- पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 79(1) के अंतर्गत अधिनियम की धारा 79 में उल्लेखित कार्यों के प्रशासन, परिचालन और अनुरक्षण हेतु भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा 79 की उप धारा 5 के अनुसार तत्कालीन पंजाब के उत्तराधिकारी राज्यों की सरकारों और राजस्थान राज्य के लिए हमेशा भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के अपने कार्यों के निर्वहन हेतु सभी अपेक्षित खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यक निधि जुटाना अपेक्षित है। बोर्ड वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के परामर्श से भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड नियमों के नियम 11 के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट आकलन के साथ-साथ चालू वर्ष के लिए संशोधित बजट आकलन तैयार करता है।
- सिंचाई खण्ड के राजस्व खर्च का वित्तपोषण भागीदार राज्यों, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों अर्थात् बीबीएमबी द्वारा सहमत अनुपातों में उनके अपने निजी संसाधनों से किया जाता है। इसी प्रकार, विद्युत खण्ड का राजस्व खर्च, आंशिक रूप में सामान्य पूल उपभोक्ताओं से की गई प्राप्तियों से और शेष में भागीदार पावर यूटीलिटीज़ द्वारा सहमत अनुपात में उनके अपने संसाधनों से पूरा किया जाता है।
- भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अपनी दिनांक 31.10.2011 की अधिसूचना सं.2/13/96-बीबीएमबी (वाल्चूम-VI) के द्वारा दिनांक 01.11.2011 से भाखड़ा-नंगल और ब्यास परियोजनाओं से विद्युत खण्ड के ऊर्जा के आबंटन के हिस्से में संशोधन किया है।
- विद्युत खण्ड की राजस्व प्राप्तियों के हिस्से को घटाने के बाद भागीदार राज्य सरकारों/भागीदार पावर यूटीलिटीज़ के वर्ष 2020-21 के बजट पर आधारित दायित्व निम्नानुसार निश्चित किए गए हैं:-


(लाख ` में)

पंजाब	15718.76	पीएसपीसीएल	25683.32
हरियाणा	10237.82	एचवीपीएनएल	21429.44
राजस्थान	12696.07	आरआरवीपीएनएल	14356.04
		एचपीएसईबी लिमिटेड	3792.86
		यूटी, चण्डीगढ़	1846.32

- भागीदार राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों द्वारा दी गई अग्रिम राशि भारत सरकार के पब्लिक अकाउंट में खोले गए वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के निजी खाता लेखे (पीएलए) में जमा कराई जाती है। जब भी खर्चा किया जाता है तो राज्य सरकार/राज्य भागीदार पावर यूटीलिटीज़ का आनुपातिक हिस्सा, राज्य सरकारों/भागीदार पावर यूटीलिटीज़ के लेखों में ब्यौरा देने हेतु सम्बन्धित महालेखाकार/भागीदार पावर यूटीलिटीज़ को भेज दिया जाता है।
- 1 भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड का पीएलए जो समीक्षाधीन पूरे वर्ष के दौरान सकारात्मक रहा, वह 31 मार्च 2021 को 19617.64 लाख के जमा बकाया के साथ बंद हुआ।

2.	लेखांकन की पीडब्ल्यूडी प्रणाली का अनुकरण किया जा रहा है और वर्ष के दौरान लेखांकन नीति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है।		
3.	i)	नोशनल परिचालन खर्च (विद्युत खण्ड को प्रभार्य)	80048.14 लाख
	ii)	विद्युत उत्पादन(मि.यू उत्पादित यूनिटें (एक्स-बस)	11338.67 एमयू
4.		ऊर्जा का प्रति यूनिट नोशनल परिचालन खर्च (उत्पादन एवं पारेषण)	70.59 पैसे
5.	ऊर्जा बिक्री से प्राप्त राजस्व		: 28499.88 लाख
	जमा की गई राशि		
	i)	पी.एस.पी.सी.एल =	12483.29 लाख
	ii)	एच.वी.पी.एन.एल. =	9064.93 लाख
	iii)	आर.आर.वी.पी.एन.ए =	4372.44 लाख
	iv)	एचपीएसईबी लिमिटेड =	1734.76 लाख
	v)	यूटी, चण्डीगढ़ =	844.46 लाख


वर्ष 2020-21 में उर्जा बिक्री राजस्व का पाई चार्ट



6. जल बि क्री से राजस्व तथा अन्य विविध प्राप्तियां: ` 3244.60 लाख
- (i) पंजाब राज्य = 1514.15 लाख `
- (ii) हरियाणा राज्य = 1009.43 लाख `
- (iii) राजस्थान राज्य = 721.02 लाख `

भागीदार राज्यों को जल तथा अन्य विविध प्राप्तियों का वितरण (लाख रूपये में)

Distribution of Water & Other Misc. Receipts to Partner States (Rs. in Lakhs)




वर्ष 2020-21 के दौरान जल बिक्री राजस्व का पाई चार्ट

7. पूंजीगत व्यय
(लाख में)

	पंजाब सरकार	हरियाणा सरकार	राजस्थान सरकार	कुल
भाखड़ा	-22.81	-15.21	-6.83	-44.85
ब्यास (अवशिष्ट कार्य)	0.34	0.38	0.87	1.59

8. भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड का कुल खर्च (कार्य तथा स्थापना) ।






अध्याय-3 Chapter-3

संगठनात्मक व्यवस्था Organisational Set-Up


बीबीएमबीसचिवालयकीसंगठनात्मकव्यवस्था
Organisational Set-Up Of BBMB Secretariat



3.2 बीबीएमबी की जनशक्ति

दिनांक 31.03.2021 को सम्पूर्ण बीबीएमबी के लिए कुल स्वीकृत पदों तथा कार्यरत कार्मिकों की संख्या निम्नानुसार है:-

स्थापना की श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिक
समूह क व ख	2125	1220
समूह ग	4761	2497
समूह घ	5185	2838
योग	12071	6555



3.2 बीबीएमबी सचिवालय

अध्यक्ष, भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड, बोर्ड के मुख्य कार्यपालक हैं और दो पूर्णकालिक सदस्य, अर्थात् सदस्य (सिंचाई) और सदस्य (विद्युत) उनकी सहायता करते हैं।

ग. स्टाफ की संख्या

दिनांक 31.3.2021 को बीबीएमबी सचिवालय, चण्डीगढ़ तथा उप सचिव/समन्वय कार्यालय, नई दिल्ली सहित केन्द्रीय कार्यालय में संस्वीकृत एवं नियुक्त स्टाफ की संख्या निम्नानुसार है:-

स्थापना की श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिक
समूह-क	72	56
समूह-ख	83	62
समूह-ग	141	94
समूह-घ	141	54
योग	437	266

घ. दिनांक 31.3.2021 को बीबीएमबी सचिवालय के विभिन्न अनुभागों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आबंटन :-

श्रेणी	बीबीएमबी										कुल योग			
	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	हिमाचल प्रदेश	केन्द्र सरकार	पंजाब पावर यूटिलिटीज़	हरियाणा पावर यूटिलिटीज़	राजस्थान पावर यूटिलिटीज़	एचपीएसईबीएल	नियमित		संविदा आधार पर	तदर्थ	अन्य
अधिका री (सभी भाषा)	6	16	3	0	1	15	7	0	4	8	लागू नहीं			60
कर्मचा री (सभी भाषा)	32	25	7	0	0	21	8	1	6	106	लागू नहीं			206
योग	38	41	10	0	1	36	15	1	10	114	0			266


3.3 सिंचाई खण्ड

सिंचाई खण्ड के तीन परियोजना स्थलों का नेतृत्व मुख्य अभियन्ता/भाखड़ा बांध, नंगल, मुख्य अभियन्ता/ब्यास बांध, तलवाड़ा और मुख्य अभियन्ता/ब्यास सतलुज लिंक, सुन्दरगनर करते हैं। जल विनियम मामलों के लिए निदेशक/जल विनियम, नंगल उत्तरदायी हैं।

बीबीएमबी (सिंचाई खण्ड) की संगठनात्मक व्यवस्था Organisational Set-Up Of BBMB (Irrigation Wing)

सदस्य /सिंचाई
Member/Irrigation

सदस्य/सिंचाई के उप सचिव
Dy. Secretary to
Member/Irrigation



ग. स्टाफ की संख्या

दिनांक 31.3.2021 को नियमित स्थापना के स्वीकृत पदों तथा नियुक्त स्टाफ की संख्या निम्नलिखित है:-

स्थापना की श्रेणी	स्वीकृत पदों की	कार्यरत कार्मिक
-------------------	-----------------	-----------------

	संख्या	
समूह-क	210	115
समूह-ख	646	308
समूह-ग	2614	1499
समूह-घ	3387	2057
योग	6857	3979

घ. दिनांक 31.3.2021 को विभिन्न संगठनों से नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का आबंटन


श्रेणी	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	हिमाचल प्रदेश	केन्द्र सरकार	पंजाब पावर यूटिलिटीज़	हरियाणा पावर यूटिलिटीज़	राजस्थान पावर यूटिलिटीज़	एचपीएसईबीएल	बीबीएमबी				
										नियमित	सविदा आधार पर	तदर्थ	अन्य	कुल योग
अधिकारी (सभी समूह)	40	36	15	10	0	2	0	1	19	15	0			138
कर्मचारी (सभी समूह)	1338	103	11	17	1	20	8	3	44	2294	0			3839
योग	1378	139	26	27	1	22	8	4	63	2309	0			3979

3.4 विद्युत खण्ड

बीबीएमबी के विद्युत खण्ड के अंतर्गत तीन मुख्य अभियन्ता अर्थात: मुख्य अभियन्ता/पारेषण प्रणाली, चण्डीगढ़, मुख्य अभियन्ता/उत्पादन, नंगल और मुख्य अभियन्ता/प्रणाली परिचालन, चण्डीगढ़ क्रमशः पारेषण, उत्पादन तथा प्रणाली परिचालन खण्ड का नेतृत्व करते हैं।

बीबीएमबी विद्युत खण्ड की संगठनात्मक व्यवस्था

Organisational set up of BBMB (Power Wing)



ग. स्टाफ की संख्या

दिनांक 31.3.2021 को नियमित स्थापना के स्वीकृत पदों तथा कार्यरत स्टाफ की संख्या निम्नलिखित है:-

स्थापना की श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिक
समूह-क	296	223
समूह-ख	641	335
समूह-ग	1838	826
समूह-घ	1564	676
योग	4339	2060

घ. दिनांक 31.3.2021 को विभिन्न संगठनों से नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का आबंटन

श्रेणी	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	हिमाचल प्रदेश	केन्द्र सरकार	पंजाब पावर यूटिलिटीज़	हरियाणा पावर यूटिलिटीज़	राजस्थान पावर यूटिलिटीज़	एचपीएसईबीएल	बीबीएमबी				
										नियमित	संविदा आधार पर	तदर्थ	अन्य	कुल योग
अधिका री (सभी समूह)	0	4	1	1	0	82	73	33	21	48	0			263
कर्मचा री (सभी समूह)	125	34	1	1	0	156	107	73	9	1291	0			1797
योग	125	38	2	2	0	238	180	106	30	1339	0			2060


3.5 वित्त, लेखे तथा लेखा परीक्षा

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी बोर्ड के “निजी खाता लेखा” के परिचालन के लिए तथा लेखों से सम्बन्धित आवश्यक अनुदेश जारी करने के लिए प्रधान अधिकारी हैं। वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी का कार्य तिहरा है, अर्थात्:

- क) सभी वित्तीय मामलों में बोर्ड का वित्तीय सलाहकार।
- ख) बोर्ड की आय तथा व्यय लेखे संकलित करने के लिए मुख्य लेखा अधिकारी तथा
- ग) बोर्ड के वित्तीय लेन-देन की आन्तरिक लेखा-परीक्षा तथा संवीक्षा के लिए मुख्य आन्तरिक लेखा-परीक्षक।

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी बीबीएमबी की संगठनात्मक व्यवस्था

Organisational Set-Up Of FA & CAO, BBMB



क. स्टाफ की संख्या

दिनांक 31.03.2021 को नियमित स्थापना के स्वीकृत पदों तथा नियुक्त कार्मिकों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

स्थापना की श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिक
समूह-क	35	30
समूह-ख	142	91
समूह-ग	168	78
समूह-घ	93	51
योग	438	250

ख. दिनांक 31.03.2021 को विभिन्न संगठनों से नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का आबंटन

श्रेणी	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	हिमाचल प्रदेश	केन्द्र सरकार	पंजाब पावर यूटिलिटीज़	हरियाणा पावर यूटिलिटीज़	राजस्थान पावर यूटिलिटीज़	एचपीएसईबीएल	बीबीएमबी				कुल योग
										नियमित	संविदा आधार पर	तदर्थ	अन्य	
अधिकारी (सभी समूह)	2	10	0	4	2	7	4	0	0	1	0	0	0	30
कर्मचारी (सभी समूह)	57	26	1	3	3	30	10	1	2	87	0	0	0	220
योग	59	36	1	7	5	37	14	1	2	88	0	0	0	250



अध्याय-4 Chapter-4

वित्तीय कार्य-निष्पादन Financial Performance

4.1 विद्युत खण्ड

4.1.1 (क) लाभानुभोगी

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की दिनांक 31.10.2011 की अधिसूचना सं.2/13/96-बीबीएमबी (वाल्पूम-VI) के द्वारा नियत आबंटन के अनुसार दिनांक 01.11.2011 से निम्नलिखित लाभानुभोगी राज्य बीबीएमबी परियोजनाओं से विद्युत प्राप्त कर रहे हैं:-

- क) पंजाब
- ख) हरियाणा
- ग) राजस्थान
- घ) हिमाचल प्रदेश
- ड.) संघीय क्षेत्र, चंडीगढ़

(ख) सामान्य पूल उपभोक्ता

क.	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नया नंगल	1.02 लाख यूनिट/दिन
ख.	पुराना हिमाचल प्रदेश	1.2 लाख यूनिट/दिन
ग.	राजस्थान में उर्वरक कारखाने के लिए बिजली की आपूर्ति	5.0 लाख यूनिट/दिन
घ.	संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़	1.0 लाख यूनिट/दिन जमा 10 लाख यूनिट/दिन की विशेष सहायता
ड.	नंगल, तलवाड़ा और बीएसएल कॉम्प्लैक्स में सिंचाई शाखा को परियोजना आपूर्तियां	

4.1.2 राजस्व प्राप्तियां और खर्च

विद्युत खण्ड के राजस्व खर्च प्रधानतः सामान्य पूल उपभोक्ताओं की राजस्व प्राप्तियों से किए जाते हैं। सामान्य पूल उपभोक्ता की राजस्व प्राप्तियों से राजस्व खर्चों के बढ़ जाने की स्थिति में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अन्तर्गत किए गए उपबन्धों के अनुसार भागीदार राज्य बिजली बोर्ड/पावर यूटीलिटीज़ द्वारा इन अतिरिक्त खर्चों को वहन किया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियां, वसूले गए अग्रिम और किए गए खर्च और शेष राशि की स्थिति निम्नानुसार है:

क राजस्व प्राप्तियां

		(लाख ` में)
1	भाखड़ा	28824.35
2	ब्यास पारेषण लाइनें	83.73
3	देहर विद्युत संयंत्र, सलापड़ (अन्य प्राप्ति)	120.08
4	देहर विद्युत संयंत्र (विद्युत की बिक्री)	14.60
5	पौंग विद्युत संयंत्र, तलवाड़ा (अन्य प्राप्ति)	6.08

6	पौंग विद्युत संयंत्र (विद्युत की बिक्री)	14.93
7	भाखड़ा आईबी से प्राप्त को जोड़िए	-630.53
8	यूनिट नं. 1 बीएसएल, सुन्दरनगर से प्राप्त को जोड़िए	22.99
9	यूनिट नं.2 पौंग डैम, तलवाड़ा से प्राप्त को जोड़िए।	43.65
	योग	28499.88

ख राजस्व व्यय

वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व खर्चों के आंकड़े निम्नलिखित हैं:-

(लाख में)

क्र. स.	विवरण	कार्य	स्थापना	कुल
परिचालन एवं अनुरक्षण				
1.	भाखड़ा बायां किनारा विद्युत संयंत्र/उत्पादन	-252.81	5720.53	5467.72
2.	भाखड़ा बायां किनारा विद्युत संयंत्र /पारेषण	551.31	3671.20	4222.51
3.	भाखड़ा दायां किनारा विद्युत संयंत्र /उत्पादन	168.46	3596.86	3765.32
4.	भाखड़ा दायां किनारा विद्युत संयंत्र /पारेषण	641.85	10179.96	10821.81
5.	ब्यास पारेषण लाइनें	1172.75	7224.55	8397.30
6.	देहर विद्युत संयंत्र	3868.50	4194.86	8063.36
7.	पौंग विद्युत संयंत्र	106.22	638.71	744.93
8.	भाखड़ा सिंचाई शाखा से प्राप्त को जोड़िए	1472.09	16477.27	17949.36
9.	ब्यास परियोजना के यूनिट नं. 1 (ब्यास सतलुज लिंक, सुन्दरनगर) से प्राप्त को जोड़िए	891.92	16296.60	17188.52
10.	ब्यास परियोजना के यूनिट नं. 2 (पौंग डैम, तलवाड़ा) से प्राप्त को जोड़िए	189.77	3237.54	3427.31
	योग	8810.06	71238.08	80048.14
नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन (आर, एम एण्ड यू)				
11	भाखड़ा बायां किनारा विद्युत घर का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन	704.44	--	704.44
	योग (आर, एम एण्ड यू)	704.44	--	704.44
कुल व्यय (विद्युत खण्ड) (परिचालन एवं अनुरक्षण + नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन)		9514.50	71238.08	80752.58

ग पूंजीगत व्यय

पूँजीगत लेखा शीर्ष में कोई पूँजीगत व्यय बुक नहीं किया गया है । तथापि, वर्ष के दौरान नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन योजनाओं से संबन्धित व्यय का ब्यौरा पूर्व पृष्ठ पर दिया गया है ।

4.1.3 राजस्व प्राप्तियों और खर्चों की भागीदारी

विद्युत खण्ड की राजस्व प्राप्तियां और खर्चें भागीदार राज्य पावर यूटिलिटीज़ के बीच निम्नवर्णित अनुसार बांटे गए हैं:-

क. भाखड़ा काम्प्लैक्स

राजस्व प्राप्तियां और खर्चें जिसमें आर, एम एण्ड यू खर्चें भी शामिल हैं, भागीदार

राज्य पावर यूटिलिटीज़ के बीच निम्नलिखित अनुपात में बांटे गए हैं:

क्रम.सं.	राज्य विद्युत यूटिलिटी	प्रतिशत
1.	आर.आर.वी.पी.एन.एल.	15.22%
2.	पी.एस.पी.सी.एल.	51.80% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
3.	एच.वी.पी.एन.एल	37.51% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
4.	एच.पी.एस.ई.बी.एल.	7.19% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
5.	विद्युत विभाग, यूटी., चण्डीगढ़।	3.5% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)

ख) ब्यास परियोजना

(i) ब्यास परियोजना यूनिट-I (देहर विद्युत संयंत्र)

देहर विद्युत संयंत्र से कुल राजस्व प्राप्तियां/खर्चे विद्युत और सिंचाई खण्डों के बीच 94:6 के अनुपात में बांटे जाते हैं। विद्युत क्षेत्र की शुद्ध राजस्व प्राप्तियां/खर्चे भागीदार राज्य पावर यूटिलिटीज़ के बीच निम्नलिखित अनुपात में बांटे गए हैं:-

राज्य विद्युत यूटिलिटी	प्रतिशत
आर.आर.वी.पी.एन.एल.	20%
पी.एस.पी.सी.एल.	51.80% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
एच.वी.पी.एन.एल	37.51% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
एच.पी.एस.ई.बी.एल.	7.19% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
विद्युत विभाग, यूटी., चण्डीगढ़।	3.5% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)

(ii) ब्यास परियोजना यूनिट-II (पौंग बांध)

पौंग विद्युत संयंत्र से कुल राजस्व प्राप्तियां/खर्चे को सिंचाई और विद्युत खण्डों में 76.5 और 23.5 अनुपात में बांटा जाता है। विद्युत क्षेत्र की शुद्ध राजस्व प्राप्तियां/खर्चे का भागीदार राज्य पावर यूटिलिटीज़ के बीच निम्नलिखित अनुपात में बांटा जाता है:-

राज्य विद्युत यूटिलिटी	प्रतिशत
आर.आर.वी.पी.एन.एल.	58.5%
पी.एस.पी.सी.एल.	51.80% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
एच.वी.पी.एन.एल	37.51% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
एच.पी.एस.ई.बी.एल.	7.19% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
विद्युत विभाग, यूटी., चण्डीगढ़।	3.5% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)

(iii) ब्यास पारेषण लाइनें

दिनांक 01.11.2011 से भागीदार पावर यूटिलिटीज़ के बीच हिस्से का पुनः आबंटन निम्नानुसार किया गया:-

राज्य विद्युत यूटिलिटी	प्रतिशत
आर.आर.वी.पी.एन.एल.	23.80%
पी.एस.पी.सी.एल.	28.72% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)

एच.वी.पी.एन.एल	60.59% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
एच.पी.एस.ई.बी.एल.	7.19% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
विद्युत विभाग, यूटी, चण्डीगढ़।	3.5% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)

4.1.4 भागीदार राज्य पावर यूटिलिटीज़ पर बकाया ओ एण्ड एम प्रभार

दिनांक 31 मार्च, 2021 को भागीदार राज्य पावर यूटिलिटीज़ से राजस्व खर्च में इनके हिस्से की वसूली योग्य राशि की स्थिति निम्नानुसार दी गई है-:

(-) अग्रिम

(+) वसूली योग्य राशि
(में)

(लाख

विवरण	पीएसपी सीएल	एचवीपी एनएल	आरआरवी पी एनएल	एचपीएसई बीएल	यूटी, चण्डीगढ़	योग
01.04.2020 को बकाया राशि	8071.45	-1638.01	-808.86	-305.88	56.08	5374.78
वर्ष के दौरान वसूल की गई राजस्व प्राप्तियां	12483.29	9064.93	4372.44	1734.76	844.46	28499.88
वर्ष के दौरान भागीदार राज्य पावर यूटिलिटीज़ द्वारा रिलीज़ की गई अग्रिम राशि	18819.63	16029.58	11270.15	2805.58	1857.93	50782.87
कुल उपलब्ध राशि	23231.47	26732.52	16451.45	4846.22	2646.31	73907.97
वर्ष के दौरान किए गए खर्च	31742.99	25532.88	15916.61	4611.06	2244.60	80048.14
दिनांक 31.03.2021 को उपलब्ध शेष राशि	8511.52	-1199.64	-534.84	-235.16	-401.71	6140.17

4.1.5 दिनांक 31.03.2021 को बकाया राशि का संक्षिप्त विवरण

(-) अग्रिम

(+) वसूली योग्य राशि
(में)

(लाख

क्रम संख्या	राज्य विद्युत यूटिलिटी	कुल ओ एण्ड एम प्रभार	कुल आर एम एण्ड यू प्रभार	कुल बकाया राशि
1.	पीएसपीसीएल	8511.52	30.12	8541.64
2.	एचवीपीएनएल	-1199.64	21.85	-1177.79

3.	आरआरवीपीएनएल	-534.84	10.50	-524.34
4.	एचपीएसईबीएल	-235.16	11.24	-223.92
5.	संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़	-401.71	2.06	-399.65
	योग	6140.17	75.77	6215.94

4.1.6 बिजली की बिक्री के लिए सामान्य पूल उपभोक्ताओं से बकाया राशि

वर्ष के दौरान मैसर्ज राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नया नंगल, पुराना हिमाचल प्रदेश, संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़, राजस्थान उर्वरक कारखाना और भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड का सिंचाई खण्ड, सामान्य उपभोक्ता रहे थे। संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़ और हिमाचल प्रदेश (नया) ने तत्कालीन पंजाब राज्य के उत्तराधिकारी होने के आधार पर परियोजना से विद्युत सप्लाई प्राप्त की। विभिन्न सामान्य पूल उपभोक्ताओं तथा अन्य के विरुद्ध 31 मार्च, 2021 को निम्नानुसार राशियाँ बकाया थीं:

(-) अग्रिम

(+) वसूली योग्य राशि

क्र.सं.	की गई ऊर्जा बिक्री	लाख में
1.	मैसर्ज राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नया नंगल -ऊर्जा - पानी की बिक्री	6.33
2.	राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के माध्यम से राजस्थान उर्वरक कारखाना	2892.98
3.	जम्मू एवं कश्मीर	22.65
4.	सिंचाई खण्ड नंगल	0.59
5.	ब्यास सतलुज लिंक परियोजना	15.60
6.	ब्यास परियोजना	2.56
7.	संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़, (निर्धारित आबंटन 3.5 प्रतिशत)	7433.62
8.	संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़ (विशेष सहायता) 10 लाख/दिन	0.00
9.	संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़ (एक लाख/दिन)	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड(पुरानी पूर्ती)	58.21
	योग	10432.54

4.1.7 अन्य बकाया राशि

क) पूल कृत पारेषण हानियां

क्र.सं.	विवरण	लाख रु
---------	-------	--------

		में
1.	पी.एस.पी.सी.एल.	-2.89
2.	एच.वी.पी.एन.एल.	0.01
3.	उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड	0.01
4.	संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़	0.01
	योग	-2.86

ख) व्हीलिंग प्रभार (समयपुर)

क्र.सं.	विवरण	लाख रु
		में
1.	उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड	-2.72
2.	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीईएसयू)	8.04
3.	जम्मू और कश्मीर	373.23
	योग	378.55

ग) व्हीलिंग प्रभार (बैरासूल)

क्र.सं.	विवरण	लाख रु
		में
1.	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीईएसयू)	62.47
2.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल)	332.64
	योग	395.11

घ) केन्द्रीय विद्युत शुल्क

क्र.सं.	विवरण	लाख रु
		में
1.	संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़	59.33
2.	ब्यास सतलुज लिंक परियोजना	3.01
	योग	62.34

ङ) 132 केवी, देहर-शिमला लाइन पर नियंत्रण उपकरण का अनुरक्षण प्रभार

क्र.सं.	विवरण	लाख रु
		में
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड	4.43
	योग	4.43

कुल योग
में

रु 11270.11 लाख

4.1.8 ऊर्जा आबंटन/बिक्री

सामान्य पूल उपभोक्ताओं से विद्युत के विक्रय द्वारा राजस्व एकत्र किया जा रहा है जबकि राज्य बिजली बोर्डों को ऊर्जा हर एक परियोजना में उनके हिस्से के अनुसार आबंटित की जाती है। राज्य विद्युत यूटीलिटीज़ के साथ-साथ सामान्य पूल उपभोक्ताओं को किए गए आबंटन का विवरण निम्नलिखित है:-

(आंकड़े मिलियन यूनिट

में)

परियोजना	पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड	सिंचाई खंड	योग
भाखड़ा कॉम्प्लेक्स	2553.96	1920.76	1101.77	412.02	580.75	20.94	20.07	6610.27
देहर	1199.93	868.96	579.11	166.49	81.08	0.00	11.22	2906.79
पौंग	367.42	266.09	999.75	50.93	24.78	0.00	10.56	1719.53
कुल योग	4121.31	3055.81	2680.63	629.44	686.61	20.94	41.85	11236.59

- i. आंकड़े एनआरपीसी द्वारा जारी आरईए में दर्शाई गई शैडयूल एनर्जी पर आधारित हैं ।
- ii. बीबीएमबी विद्युत घरों द्वारा भेजी गई कुल ऊर्जा 11338.67 एमयू है और भागीदार राज्यों/लाभार्थियों को बुक की गई ऊर्जा 11236.59 एमयू है । भागीदार राज्यों/लाभार्थियों को शैडयूल/बुक की गई और वास्तविक ऊर्जा के अन्तर को विचलन निपटान तंत्र (डीएसएम) के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि बीबीएमबी के उत्पादन केन्द्र जून 2016 से एबीटी के दायरे में आ गए हैं ।

4.2 सिंचाई खण्ड

4.2.1 राजस्व प्राप्तियाँ और खर्च

राजस्व एवं पूंजीगत खर्चों के संबंध में समेकित मासिक लेखे राज्य लेखों में समायोजित करने के लिए सम्बन्धित महालेखाकारों को भेजे जाते हैं। मासिक प्राप्तियाँ खर्चों की प्रतियाँ, भारत सरकार, राज्य सरकारों और भागीदार राज्यों के मुख्य अभियन्ताओं को भेजी जाती हैं ताकि उन्हें इन खर्चों के प्रवाह से अवगत कराया जा सके और बोर्ड के लिए वित्त की व्यवस्था की जा सके। आहरित चेकों तथा भेजी गयी रकम के मासिक वर्गीकृत लेखे, लेखा नियन्त्रक, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय को भेजे जाते हैं।

क राजस्व प्राप्तियाँ

वर्ष के अंतर्गत वसूल की गई राजस्व प्राप्तियाँ 3244.60 लाख ` हैं। प्रचलित प्रथा के अनुसार, सिंचाई खण्ड से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों का भागीदार राज्य सरकारों को भुगतान मार्च के महीने में किया जाता है।

ख राजस्व खर्च

कुल राजस्व खर्च, निम्न पैरा 4.2.2 में वर्णित ढंग से सिंचाई और विद्युत खण्ड में विभाजित किया जाता है। जारी की गई निधियों के साथ-साथ किए गए खर्च की भागीदार राज्यवार स्थिति नीचे दी गई है:-

(-) अग्रिम

(+) वसूली योग्य राशि

(लाख रु में)

विवरण	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	योग
भाखड़ा कॉम्प्लेक्स				

दिनांक 01.04.2020 को प्रारम्भिक शेष	17.35	3658.22	-631.53	3044.04
वर्ष के दौरान जारी की गई राशि	10409.31	5400.00	2919.00	18728.31
उपलब्ध कुल धन राशि	10391.96	1741.78	3550.53	15684.27
वर्ष के दौरान खर्च	9439.79	6064.36	2782.37	18286.52
31.03.2021 को अंतिम शेष राशि	-952.17	4322.58	-768.16	2602.25
ब्यास परियोजना				
दिनांक 01.04.2020 को प्रारम्भिक शेष	-1556.15	-3565.35	-1226.42	-6347.92
वर्ष के दौरान जारी की गई राशि	4429.36	3500.00	9466.24	17395.60
उपलब्ध कुल धन राशि	5985.51	7065.35	10692.66	23743.52
वर्ष के दौरान खर्च	4203.94	2802.63	8187.22	15193.79
31.03.2021 को अंतिम शेष राशि	-1781.57	-4262.72	-2505.44	-8549.73
31.03.2021 को भाखड़ा और ब्यास में उपलब्ध कुल शेष राशि	-2733.74	59.86	-3273.60	-5947.48

4.2.2 राजस्व प्राप्तियाँ और खर्च की हिस्सेदारी

क. भाखड़ा

सकल प्राप्ति/खर्च सिंचाई तथा विद्युत खण्ड के बीच 50:50 अनुपात में बांटी जाती है।

निवल सिंचाई प्राप्ति खर्च को आगे राज्य सरकारों में निम्नलिखित अनुपात में बांट दिया जाता है:-

राजस्थान	15.22%	} राजस्थान का हिस्सा घटाने के पश्चात
	19.06%	
पंजाब	60%	
हरियाणा	40%	

ख. ब्यास परियोजना यूनिट नं.1 (ब्यास सतलुज लिंक)

ब्यास परियोजना यूनिट नं.1, ब्यास सतलुज लिंक परियोजना की कुल राजस्व प्राप्ति/खर्च सिंचाई तथा विद्युत के बीच 6:94 के अनुपात में बांटी जाती है। भागीदार राज्य सरकारों के बीच निवल सिंचाई प्राप्तियां/खर्च की हिस्सेदारी निम्नलिखित अनुपात में की जाती है:-

राजस्थान	15%
हरियाणा	34%
पंजाब	51%

ग. ब्यास परियोजना यूनिट-II (पौंग बांध)

सिंचाई खण्ड की कुल प्राप्ति/खर्च सिंचाई और विद्युत के बीच 76.5:23.5 के अनुपात में बांटा जाता है। निवल 76.5 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां/खर्च भागीदार राज्य

सरकारों के बीच निम्नलिखित अनुपात में बांटे जाते हैं:-

राजस्थान	58.5%
पंजाब	24.9%
हरियाणा	16.6%

4.2.3 परियोजनाओं का पूंजीगत खर्च

क. भाखड़ा परियोजना

बोर्ड का पूंजीगत खर्च अतिरिक्त भण्डार मशीनरी की बिक्री से हुई आय से चलाया जाता है क्योंकि इस खर्च के लिए भागीदार राज्य सरकारों/भारत सरकार द्वारा लेखे के पूंजीगत शीर्ष के अधीन कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया जाता है। भागीदार राज्यवार स्थिति अगले पृष्ठ पर दी गयी है:-

4700 - मेजर सिंचाई पर पूंजीगत लागत

(-) अग्रिम

(+) वसूली योग्य राशि

(लाख रु में)

	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	योग
01.04.2020 को प्रारम्भिक शेष राशि	-868.48	-578.99	-259.53	-1707.00
वर्ष के दौरान खर्च	-22.81	-15.21	-6.83	-44.85
राज्य सरकारों द्वारा बीबीएमबी को भुगतान योग्य कुल राशि	-891.29	-594.20	-266.36	-1751.85

4801 - विद्युत परियोजना- हाइडल उत्पादन बायां विद्युत संयंत्र (एलपीपी)

(-) अग्रिम

(+) वसूली योग्य राशि

(लाख रु

में)

01.04.2020 को प्रारम्भिक शेष राशि	- 31.84	- 21.22	- 9.52	- 62.58
वर्ष के दौरान खर्च	--	--	--	--
राज्य सरकारों द्वारा बीबीएमबी को भुगतान योग्य कुल राशि	- 31.84	- 21.22	- 9.52	- 62.58

4801 - विद्युत परियोजना -हाइडल उत्पादन दायां विद्युत संयंत्र (आरपीपी)

(-) अग्रिम

(+) वसूली योग्य राशि

(लाख रु

में)

01.04.2020 को प्रारम्भिक शेष राशि	66.29	44.24	14.68	125.21
वर्ष के दौरान खर्च	--	--	--	--
राज्य सरकारों द्वारा बीबीएमबी को भुगतान योग्य कुल राशि	66.29	44.24	14.68	125.21
राज्य सरकारों द्वारा बीबीएमबी को भुगतान योग्य राशि का कुल योग (एलपीपी+आरपीपी)	34.45	23.02	5.16	62.63

ख. ब्यास परियोजना

ब्यास परियोजना का पूंजीगत खर्च, पहले भारत सरकार द्वारा भागीदार राज्य सरकारों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता से पूर्ण किया जाता था। परियोजना की अवशिष्ट देयताओं को कार्यरूप देने के लिए अब भागीदार राज्य सरकारों द्वारा अपनी योजना लागत में से या अपने निजी संसाधनों से निधियों की व्यवस्था की जाती है। शेष खर्चों की राज्यवार स्थिति निम्नानुसार है:-

4700 एवं 4801 - ब्यास परियोजना का पूंजीगत खर्च

(-) अग्रिम

(+) वसूली योग्य राशि

(लाख

रु में)

	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	योग
01.04.2020 को प्रारम्भिक शेष राशि	340.36	257.85	441.41	1039.62
वर्ष के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त राशि	--	--	--	--
वर्ष के दौरान खर्च	0.34	0.38	0.87	1.59
राज्य सरकारों द्वारा बीबीएमबी को भुगतान योग्य कुल राशि (सिंचाई और विद्युत)	340.70	258.23	442.28	1041.21

.43 भागीदार राज्य सरकारों से बकाया राशि की स्थिति (31.03.2021 के अनुसार)

(-) अग्रिम

(+) वसूली योग्य राशि

(लाख रु

में)

विवरण	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	योग
परिचालन एवं अनुरक्षण प्रभार	-2733.74	59.86	-3273.60	-5947.48
बीसीबी (अवशिष्ट कार्य)	340.70	258.23	442.28	1041.21
योग	-2393.04	318.09	-2831.32	-4906.27

4.4 अंशदायी भविष्य निधि (31.3.2021 की स्थिति अनुसार)

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के तदर्थ/नियमित/वर्कचार्ज्ड कर्मचारी बीबीएमबी अंशदायी एवं सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा संचालित बोर्ड की सामान्य भविष्य निधि/पेंशन योजना अथवा अंशदायी भविष्य निधि योजना में अभिदान के हकदार हैं। आधे न्यासी प्रबंधक वर्ग का और शेष आधे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न निर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड कर्मचारी अंशदायी एवं सामान्य भविष्य निधि के शेष की स्थिति निम्नलिखित है:-

(लाख रु

में)

क्र. सं.	प्रतिभूतियों/इन्स्ट्रुमेन्ट्स का नाम	रूपये
1.	केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	6271.30
2.	भारत सरकार का विशेष जमा योजना खाता	6678.99
3.	आधार आवास वित्त लिमिटेड	450.00
4.	आदित्य बिरला फाइनांस	400.00
5.	आन्ध्र बैंक बॉन्ड	400.00
6.	आन्ध्र प्रदेश राज्य विकास ऋण खाता	2079.90
7.	बजाज वित्त लिमिटेड बॉन्ड	300.00
8.	बिहार राज्य विकास ऋण खाता	780.00
9.	कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड	700.00
10.	छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डीसी लिमिटेड	1,000.00
11.	क्रेडिला वित्त सेवाएँ प्राइवेट लिमिटेड	100.00
12.	दीवान हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड	650.00
13.	निर्यात आयात बैंक बॉन्ड	140.00
14.	एडलिवेस फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	600.00
15.	भारतीय खाद्य निगम बॉन्ड	1000.00
16.	गुजरात राज्य विकास ऋण खाता	308.00
17.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड बॉन्ड	530.00
18.	हरियाणा राज्य विकास ऋण	500.00
19.	हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड बॉन्ड	450.00
20.	आई.डी.बी.आई बैंक लिमिटेड बॉन्ड	300.00
21.	इण्डिया बुल्ज वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	310.00
22.	भारतीय रेलवे वित्त निगम बॉन्ड	300.00
23.	औद्योगिक विकास वित्त निगम बॉन्ड	200.00
24.	आईएल एंड एफ.एस.वित्तीय सेवाएं	700.00

25.	आईएल एण्ड एफ.एस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड	1,550.00
26.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण खाता	1390.20
27.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल)	800.00
28.	कृष्णा भाग्य निगम लिमिटेड	250.00
29.	कर्नाटका एसडीएल	900.00
30.	एल एड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कम्पनी कार्पोरेशन लिमिटेड बॉन्ड	880.00
31.	एल एड टी आवास वित्त लिमिटेड	200.00
32.	महाराष्ट्र राज्य विकास ऋण खाता	500.00
33.	नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन(नीपको लिमिटेड)	200.00
34.	पटेल केएनआर हैवी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	1,000.00
35.	पीएनबी आवास वित्त लिमिटेड बॉन्ड	530.00
36.	पी.एन.बी. परपेचुअल बॉन्ड	350.00
37.	विद्युत वित्त निगम लिमिटेड बॉन्ड	2050.00
38.	फैडरल बैंक लिमिटेड	100.00
39.	पंजाब राज्य विकास ऋण लेखा	1,800.00
40.	एचडीएफसी क्रेडिला वित्त सर्विस लिमिटेड	300.00
41.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	400.00
42.	तेलंगाना राज्य विकास खाता	400.00
43.	आसाम राज्य विकास ऋण	495.10
44.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	700.00
45.	राजस्थान राज्य विकास ऋण खाता	1712.28
46.	रिलायंस कैपिटल लिमिटेड बॉन्ड	900.00
47.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड बॉन्ड	1,378.76
48.	सिनटैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	600.00
49.	स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड	200.00
50.	तमिलनाडु उदय बॉन्ड	2,240.00
51.	टाटा क्लीनटैक कैपिटल लिमिटेड	400.00
52.	टाटा कैपिटल वित्त लिमिटेड	1200.00
53.	टूरिज्म फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	132.00
54.	तमिलनाडु राज्य विकास ऋण	200.00
55.	उत्तर प्रदेश राज्य विकास ऋण खाता	3,608.89

56.	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	800.00
57.	पश्चिम बंगाल राज्य विकास खाता	1,716.89
58.	सिक्किम राज्य विकास ऋण खाता	451.80
59.	मिजोरम राज्य विकास खाता	72.84
60.	तेलंगाना राज्य विकास खाता	186.97
61.	ओएनजीसी पेट्रो एडिशनस लिमिटेड	800.00
62.	गुजरात स्टेट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	800.00
63.	जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिमिटेड	500.00
64.	तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी	500.00
	योग	58343.92
	म्यूच्युअल फंड	
1.	भारत 22 ईटीएफ एमएफ	150.00
2.	भारतीय स्टेट बैंक ब्लू चिप फंड ग्रोथ	480.00
3.	आईसीआईसीआई प्रूडेंशि यल वैल्यू डिस्कवरी फंड ग्रोथ	200.00
4.	आईएल एण्ड एफएस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेबिट फंड सीरीज-3-ए	100.00
5.	कोटेक ईटीएफ फंड	50.89
6.	कोटेक सिलेक्ट गिल्ट इन्वेस्टमेंट फण्ड	200.00
7.	एकसिस ब्लू चिप फंड	484.00
8.	कोटेक स्टैंडर्ड मल्टीकैप फंड	150.00
9.	एचडीएफसी टॉप-100 फंड	50.00
10.	एचएसबीसी म्यूच्युअल फंड	200.00
11.	मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडिक्स फंड (एमएफ)	20.00
	कुल म्यूच्युअल फंड	2,084.89
	कुल निवेश 31.03.2021 तक	60428.81

.45 लेखा परीक्षा

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के विभिन्न मण्डलों/कार्यालयों की आन्तरिक लेखा परीक्षा बोर्ड के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी द्वारा की जाती है। वैधानिक लेखा परीक्षा महालेखाकार, लेखा परीक्षा, पंजाब द्वारा की जाती है। बोर्ड के 03/2021 तक के लेखों की लेखा परीक्षा महालेखाकार, लेखा परीक्षा, पंजाब द्वारा कर दी गई है।

.46 निजी बही खाता लेखा (पीएलए)

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 79(5) के उपबन्धों के अन्तर्गत, बीबीएमबी को अपने कार्यों, जिनमें क्रमशः सिंचाई खण्ड (बांधों, नहरों और अन्य सिविल संरचनाओं) और विद्युत खण्ड (विद्युत संयन्त्र, पारेषण नेटवर्क, आदि) के लिए परिचालन एवं अनुरक्षण प्रभार शामिल हैं, का निर्वहन करने के लिए अपेक्षित सभी खर्चों को पूरा करने हेतु भागीदार राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों द्वारा आवश्यक निधियों की व्यवस्था कराना आवश्यक है। क्योंकि बीबीएमबी के पास परिचालन एवं अनुरक्षण प्रभारों को पूरा करने के लिए अपनी कोई कार्य पूंजी नहीं है इसलिए दिनांक 14.02.1967 को सचिव, सिंचाई एवं विद्युत, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा आयोजित बैठक में सरकार की पुस्तिकाओं में खोले जाने वाले निजी बही खाता लेखा (पीएलए) में इन निधियों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें भागीदार राज्य अपने सम्बन्धित बजट में प्रावधान करने के उपरांत अपने हिस्से के अनुसार उचित राशि का अंशदान करेंगे। 31.03.2021 को निजी बही खाता लेखा में ` 19617.64 लाख शेष थे।

.47 बीबीएमबी प्रणाली की परिचालन एवं अनुरक्षण लागत

वर्ष के दौरान बीबीएमबी की सैद्धान्तिक उत्पादन और पारेषण की लागत क्रमशः ` 566.06 करोड़ और ` 234.42 करोड़ बुक की गई। सैद्धान्तिक उत्पादन कार्यों के लिए ओ एण्ड एम लागत 49.92 पैसे/किलोवाट घंटे तथा पारेषण लागत 20.67 पैसे/किलोवाट घंटे निकलती है। सामान्य पूल उपभोक्ताओं से प्राप्तियों की गणना करने के उपरांत भागीदार राज्यों (पारेषण सहित) को वितरित ऊर्जा की लागत 48.88 पैसे/किलोवाट घंटे निकलती है।



अध्याय-5 Chapter-5

परिचालन कार्य-निष्पादन Operational Performance

5.1.6 नंगल हाइडल चैनल (एनएचसी) से आनन्दपुर साहिब हाइडल चैनल (एएसएचसी) तक पानी का प्रत्यावर्तन (डाइवर्शन)

बोर्ड की 23.12.2003 को आयोजित 184वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जब कभी गंगूवाल और/अथवा कोटला विद्युत घर(घरों) पर कोई मशीन बन्द होती है/हैं, तब पंजाब और हरियाणा की सिंचाई की मांग पूरा करने के बाद अतिरिक्त पानी नंगल हाइडल चैनल (एनएचसी) के माध्यम से आनन्दपुर साहिब हाइडल चैनल (एएसएचसी) को प्रत्यावर्तित किया जाएगा। आगे प्रत्यावर्तन के कारण गंगूवाल/कोटला विद्युत घरों में उत्पादन की जो हानि होगी उसकी क्षतिपूर्ति पंजाब राज्य बिजली बोर्ड द्वारा की जाएगी और उत्पादन की हानि की गणना करने के बाद आनन्दपुर साहिब हाइडल प्रोजेक्ट पर उत्पादन में हुई बाकी वृद्धि को बीबीएमबी और पीएसईबी के बीच बराबर बांट दिया जाएगा। जल के प्रत्यावर्तन के कारण गंगूवाल तथा कोटला विद्युत घरों में उत्पादन का कुल क्रेडिट गंगूवाल/कोटला विद्युत घरों के डीमड उत्पादन के रूप में समझा जाएगा। आगे भागीदार राज्यों में उत्पादन का समायोजन दिनांक 23.04.2019 को बीबीएमबी की 136वीं विद्युत उप समिति में लिए गए निर्णय के अनुसार किया जाता है।

उपरोक्त के अनुसरण में वर्ष 2020-21 के दौरान गंगूवाल और कोटला विद्युत घरों पर डीमड उत्पादन निम्नानुसार है:-

(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में)

अवधि	गंगूवाल तथा कोटला में उत्पादन की हानि (एमयू)	एएसएचपी में अधिक उत्पादन (एमयू)	डीमड उत्पादन (एमयू)	बीबीएमबी को लाभ (एमयू)
4/20 to 3/21	0.09	4.7	4.28	4.19

5.1.7 प्रणाली भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी)

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड का प्रणाली भार प्रेषण केंद्र बीबीएमबी के पारेषण परिचालन तथा उत्पादन परिसम्पतियों को नियंत्रण करने तथा उन पर 24 घंटे निरन्तर निगरानी रखने के प्रति उत्तरदायी है। बीबीएमबी का प्रणाली भार प्रेषण केंद्र स्टेट आफ आर्ट प्रयवेक्षक नियंत्रण डेटा एक्यूज़िशन एवं ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (SCADA/EMS) तथा एक समर्पित आष्टिकल फाईबर आधारित संचार प्रणाली के अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, जिससे हमारे एसएलडीसी के अभियन्ता नवीनतम तकनीकों की सहायता से अपने उत्तरदायित्वों को दक्षतापूर्वक निभाते हैं।

नई तकनीकों को ध्यान में रखते हुए बीबीएमबी के (SCADA/EMS) प्रणाली का अभी हाल ही में अद्यतन किया गया है। नई प्रणाली में कई नई विशेषताएं हैं, जिसके द्वारा ऊर्जा प्रणाली निगरानी एवं नियंत्रण में एक सूक्ष्म दृष्टि उपलब्ध हो पाई है। बीबीएमबी में पीएसटीसीएल के साथ इसके संगठनात्मक ढाँचे को बाँट कर इसका बैक-अप भी स्थापित किया है, ताकि विपदा के समय भी सेवा में निरंतरता के लिए अद्वितीय तथा प्रभावी दर पर उर्जा उपलब्ध करवाई जा सके। पीएसटीसीएल के साथ एसएलडीसी का बैक-अप बांटने से बीबीएमबी ने परियोजना लागत के पांच करोड़ रुपयों की बचत की तथा इतनी ही बचत पीएसटीसीएल की हुई। बीबीएमबी में अपने 10 महत्वपूर्ण उत्पादन स्टेशनों एवं उपकेंद्रों पर स्टेट आफ आर्टआरटीयूज़ की स्थापना की है।

बीबीएमबी के प्रणाली भार प्रेषण केंद्र में स्थापित SCADA/EMS उपकरणों में सर्वर, डाटा स्टोरेज डिवाइज, सर्विचिंग डिवाइज, फायर वाल्ज़, विडियो प्रोजेक्शन सिस्टम, ऑपरेटर कंसोलज़, रिमोट कंसोलज़ इत्यादि का प्रयोग किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त बीबीएमबी के प्रणाली भार प्रेषण केंद्र में एक समर्पित वेब सर्वर भी स्थापित किया गया है। यह वेब सर्वर SCADA से रियल टाइम डेटा तथा सिंगल लाईन डायग्राम ग्रहण करता है तथा बाहरी प्रयोगकर्ताओं को बीबीएमबी की ऊर्जा प्रणाली से सम्बंधित SCADA डेटा तथा रिपोर्ट को डाउनलोड करके एक वेब इंटरफ़ेस उपलब्ध करवाता है। बाहरी प्रयोगकर्ता एसएलडीसी डेटा डिस्प्ले तथा रिपोर्ट्स को देखने के लिए वेब सर्वर से जुड़ने हेतु इन्टरनेट से जुड़ सकते हैं।

इसके अतिरिक्त बीबीएमबी के सभी विद्युत घरों तथा उपकेंद्रों को समर्पित SCADA रिमोट कंसोल उपलब्ध करवाये गए हैं। यह रिमोट कंसोल बीबीएमबी के प्रणाली भार प्रेषण केंद्र से एक समर्पित सम्प्रेषण जोड़ से जुड़े हुए हैं। इन रिमोट कंसोल की सहायता से उपकेन्द्र/विद्युत घरों के अधिकारी/स्टाफ अपने उपकेंद्रों के साथ बीबीएमबी में स्थापित अन्य उपकेंद्रों पर विभिन्न ऊर्जा प्रणाली उपकरणों पर निगरानी रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्युत घर एवं उपकेंद्रों से सम्बंधित रिपोर्ट नियंत्रण कक्ष के अभियंता/स्टाफ स्थानीय तौर पर बना सकते हैं।


अपने अथक प्रयासों से बीबीएमबी प्रणाली भार प्रेषण केंद्र के अभियंताओं ने सम्मिलित रूप से नवीनतम तकनीकों के प्रयोग द्वारा ऊर्जा प्रणाली निगरानी, परिचालन एवं नियंत्रण को बेहतर बनाया है तथा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बीबीएमबी में स्मार्ट ग्रिड के क्रियान्वयन हेतु सत्त प्रयास कर रहे हैं।

बीबीएमबी के विद्युत-घरों में वार्षिक सकल उर्जा उत्पादन वर्ष 2020-21

चित्र-1
Figure - 1

ANNUAL GROSS ENERGY GENERATION AT BBMB POWER HOUSES
2020-21

योग : 11482.05 मिलियन यूनिट
Total : 11482.05 MU




गंगुवाल एवं कोटला विद्युत घरों से कुल उत्पादन में डीम्ड उत्पादन के रूप में 4.28 मिलियन यूनिट शामिल हैं।
The Total Generation at Ganguwal & Kotla PHs includes 4.28 MUs as Deemed Generation. (Gwl=2.14 MU & Ktl=2.14 MU)

پژدژ دژ رنخ/ژ ر ژ د ن بسخ نڈرڈ خژ ڈخ ش ر ژ ر نٹن بسخ 2020-21 سہر 2011-12 ر ر


چہ -2
Figure - 2

TARGET/ACHIEVEMENTS IN RESPECT OF ANNUAL ENERGY GENERATION DURING THE YEARS 2011-12 TO 2020-21



वर्ष 2020-21 के दौरान बीबीएमबी के प्रतीकात्मक दैनिक उत्पादन वक्र
 TYPICAL DAILY GENERATION CURVES OF BBMB DURING 2020-21


चित्र-3-ए
 Fig. 3-A



वर्ष 2020-21 के दौरान बीबीएमबी के विद्युत-घरों का संयन्त्र उपलब्धता
गुणक (आर,एम एण्ड यू अवधि रहित)

चित्र- 4
Figure 4

**PLANT AVAILABILITY FACTOR OF BBMB POWER HOUSES DURING
THE YEAR 2020-21 (EXCLUDING R,M&U PERIOD)**




संयन्त्र उपलब्धता गुणक (पी.ए.एफ.) प्रतिशतता = $\frac{\text{वर्ष में कुल घंटे} - (\text{अनिवार्य बंदी के घंटे} + \text{आर,एम एण्ड यू अवधि को छोड़ कर योजित बंदी के घंटे} + \text{आर,एम एण्ड यू अवधि})}{\text{वर्ष में कुल घंटे} - \text{आर,एम एण्ड यू अवधि के घंटे}} \times 100$

Plant Availability Factor (PAF) %age = $\frac{\text{Total hrs in a year} - (\text{Forced outage hrs} + \text{Planned outage hrs excluding R,M\&U period} + \text{R,M\&U period})}{\text{Total hrs in a year} - \text{R,M\&U period in hours}} \times 100$

वर्ष 2020-21 के दौरान बीबीएमबी विद्युत-घरों से भागीदार/लाभानभोगियों को पारेषित ऊर्जा
ENERGY TRANSMITTED TO PARTNERS/BENEFICIARIES FROM BBMB PHs DURING 2020-21

चित्र-5
Figure - 5



5.2 सिंचाई खण्ड

5.2.1 जलाशयों की स्थिति

जलाशयों का नियन्त्रण एवं परिचालन तथा विभिन्न भागीदार राज्यों/लाभानुभोगियों को पानी का नियमन और वितरण, बीबीएमबी के सिंचाई खण्ड के अधीन है।

- भाखड़ा जलाशय

- क) भाखड़ा जलाशय की भराई दिनांक 8 जून, 2020 को आरम्भ की गई जब जलाशय का स्तर ईएल 1560.82 फीट (475.74 मीटर) था।
- ख) दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक बीएसएल प्रणाली के माध्यम से प्रत्यावर्तन सहित कुल अन्तर्वाह 13.568 एमएएफ/16.598 बीसीएम था।
- ग) दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक बीएसएल प्रणाली के माध्यम से प्रत्यावर्तन 3.338 एमएएफ/4.084 बीसीएम था।
- घ) 10 सितंबर, 2020 को अधिकतम जल स्तर ईएल 1662.75 फीट (506.81 मीटर) प्राप्त किया गया था।

- पौंग जलाशय

- क) पौंग जलाशय की भराई 03 जूलाई 2020 को आरम्भ की गई जब जलाशय का स्तर ईएल 1334.49 फीट (406.75 मीटर) था।
- ख) दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक कुल अंतर्वाह 5.677 एमएएफ/ 6.945 बीसीएम था।
- ग) 9 सितम्बर, 2020 को अधिकतम जलस्तर ईएल 1376.59 फीट (419.58 मीटर) प्राप्त किया गया था।

5.2.2 जल आपूर्तियों और जल लेखे का नियमन

जल लेखा तैयार करने के लिए वर्ष को दो अवधियों में बांट दिया जाता है अर्थात् भराई अवधि 21 मई से 20 सितम्बर तक और रिक्तिकरण अवधि 21 सितम्बर से अगले वर्ष की 20 मई तक। भराई और रिक्तिकरण अवधि के लिए जल लेखे अलग-अलग तैयार किए जाते हैं। एक अवधि की अधिकता/कमी को अगली अवधि में नहीं ले जाया जाता। 21.05.2020 से 20.05.2021 तक की अवधि के लिए रावी-ब्यास जल के साथ-साथ सतलुज के जल में से इन राज्यों द्वारा प्राप्त किए गए जल की अधिकता/कमी सहित भागीदार राज्यों को वितरण/हिस्से और सुपुर्दगी तथा दिल्ली जल बोर्ड को दिया गया जल, **चित्र 6 से 13** में दर्शाया गया है। इन चार्टों में अंकित किए गए आंकड़े भागीदार राज्यों को समय-समय पर परिपत्रित किए गए जल लेखों से लिए गए हैं।

भाखड़ा और पौंग जलाशयों से जल छोड़ने का निर्णय तकनीकी समिति (जिसमें अध्यक्ष, बीबीएमबी की अध्यक्षता में बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य, भागीदार राज्य बिजली बोर्डों/राज्य पारेषण यूटिलिटी के तकनीकी सदस्य/निदेशक तथा सिंचाई विभागों के मुख्य अभियन्ता शामिल होते हैं) द्वारा, सिंचाई और विद्युत की आवश्यकताओं, जलाशय के स्तर और अंतर्वाह को ध्यान में रखते हुए, मासिक बैठकों में लिया जाता है।

विभिन्न भागीदार राज्यों का हिस्सा वितरण और विभिन्न अन्तर्राज्यीय सम्पर्क बिन्दुओं पर सतलुज और रावी-ब्यास जल से वितरित किए जाने वाले जल तथा जलाशयों से अनुमोदित जल निर्मोचन के सम्बन्ध में नहरी तार/बेतार सन्देश के द्वारा भागीदार राज्यों के सम्बन्धित अधिकारियों को 10 दिनों के अन्तर से सूचित किया जाता है।

भराई/रिक्तिकरण अवधि के दौरान भागीदार राज्यों को की गई जल आपूर्ति निम्नानुसार है- :

- | | | | |
|----|--|---|----------------------|
| 1. | सतलुज और रावी-ब्यास जल से पंजाब को की गई जल आपूर्ति | - | चित्र 6 एवं चित्र 7 |
| 2. | सतलुज और रावी-ब्यास जल से हरियाणा को की गई जल आपूर्ति | - | चित्र 8 एवं चित्र 9 |
| 3. | सतलुज और रावी-ब्यास जल से राजस्थान को की गई जल आपूर्ति | - | चित्र 10 से चित्र 12 |
| 4. | दिल्ली जल बोर्ड को की गई जल आपूर्ति | - | चित्र 13 |

दिनांक 21.05.2020 से 21.05.2021 तक राज्यों को कुल जल आपूर्ति निम्नानुसार की गई है:- (सभी आंकड़े मिलियन एकड़ फीट में)


राज्य	सतलुज	रावी-ब्यास	योग
पंजाब	5.256	6.170	11.426
हरियाणा	3.755	1.787	5.542
राजस्थान	1.101	6.821	7.922
दिल्ली जल बोर्ड	-	0.294	0.294
योग	10.112	15.072	25.184

चित्र 6 Fig. 6


दिनांक 21.5.2020 से 20.5.2021 तक की अवधि के लिए सतलुज जल से पंजाब को सप्लाई किए गए जल की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणिका

Statement showing position of water supplies to Punjab out of Satluj water for the period from 21.5.2020 to 20.05.2021

भराई अवधि (21.05.2020 से 20.09.2020)
Filling Period (21.05.2020 to 20.09.2020)



रिक्तीकरण अवधि (21.09.2020 से 20.05.2021)
Depletion period (21.09.2020 to 20.05.2021)



Note (1) All figures are in cusec days.

(2) The deliveries have been made as per requirements decided in Technical Committee Meeting.

नोट:- 1. सभी आंकड़े क्यूसिक दिनों में ।


2. सभी सुपुर्दगियां आवश्यकता अनुसार तकनीकी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार ।

चित्र 7 Fig. 7


दिनांक 21.5.2020 से 20.05.2021 तक की अवधि के लिए रावी ब्यास से पंजाब को सप्लाई किए गए जल की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणिका

Statement showing position of water supplies to Punjab out of Ravi-Beas waters for the period from 21.5.2020 to 20.05.2021

भराई अवधि (21.05.2020 से 20.09.2020)
Filling Period (21.05.2020 to 20.09.2020)



रिक्तीकरण अवधि (21.09.2020 से 20.05.2021)
Depletion period (21.09.2020 to 20.05.2021)




- Note:-
- (1) All figures are in cusec days.
 - (2) The deliveries have been made as per requirements decided in Technical Committee Meeting
 - (3) The deliveries to Punjab also include some supplies made d/s Ropar which have already been booked to Punjab at Ropar.
- नोट :-
1. सभी आंकड़े क्यूसेक दिनों में ।
 2. सभी सुपुर्दगियां आवश्यकता अनुसार तकनीकी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार ।
 3. पंजाब को की गई सुपुर्दगियों में रोपड़ के डाउनस्ट्रीम को की गई कुछ आपूर्तियां भी शामिल हैं जो पंजाब को रोपड़ पर पहले ही बुक की जा चुकी है।

चित्र 8 Fig. 8


दिनांक 21.5.2020 से 20.05.2021 तक की अवधि के लिए सतलुज जल से हरियाणा को सप्लाई किए गए जल की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणिका

Statement showing position of water supplies to Haryana out of Satluj waters for the period from 21.5.2020 to 20.05.2021

भराई अवधि (21.05.2020 से 20.09.2020)
Filling Period (21.05.2020 to 20.09.2020)



रिक्तीकरण अवधि (21.09.2020 से 20.05.2021)
Depletion period (21.09.2020 to 20.05.2021)



Note(1) All figures are in cusec days.

(2) The deliveries have been made as per requirements decided in Technical Committee Meeting.

नोट:-


1. सभी आंकड़े क्यूसेक दिनों में ।
2. सभी सुपुर्दगियां आवश्यकता अनुसार तकनीकी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार ।

चित्र 9 Fig. 9


दिनांक 21.5.2020 से 20.05.2021 तक की अवधि के लिए रावी-ब्यास जल से हरियाणा को सप्लाई किए गए जल की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणिका

Statement showing position of water supplies to Haryana out of Ravi-Beas water for the period from 21.5.2020 to 20.05.2021 .

भराई अवधि (21.05.2020 से 20.09.2020)
Filling Period (21.05.2020 to 20.09.2020)



रिक्तीकरण अवधि (21.09.2020 से 20.05.2021)
Depletion period (21.09.2020 to 20.05.2021)



Note (1) All figures are in cusec days.
(2) The deliveries have been made as per requirements decided in Technical Committee Meeting.


नोट :-

1. सभी आंकड़े क्यूसेक दिनों में ।
2. सभी सपुर्दगियां आवश्यकता अनुसार तकनीकी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार ।


चित्र 10 Fig. 10

दिनांक 21.5.2020 से 20.05.2021 तक की अवधि के लिए सतलुज जल की हरियाणा के रास्ते राजस्थान को हुई सप्लाई की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणिका
Statement showing position of water supplies to Rajasthan via Haryana out of Satluj water for the period from 21.5.2020 to 20.05.2021

भराई अवधि (21.05.2020 से 20.09.2020)
Filling Period (21.05.2020 to 20.09.2020)



रिक्तीकरण अवधि (21.09.2020 से 20.05.2021)
Depletion period (21.09.2020 to 20.05.2021)



Note(1) All figures are in cusec days.

(2) The deliveries have been made as per requirements decided in Technical Committee Meeting.

नोट:-1. सभी आंकड़े क्यूसेक दिनों में ।


2. सभी सपुर्दगियां आवश्यकता अनुसार तकनीकी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार ।

चित्र 11 Fig. 11


दिनांक 21.5.2020 से 20.05.2021 तक की अवधि के लिए सतलुज जल की पंजाब के रास्ते राजस्थान को हुई सप्लाई की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणिका

Statement showing position of water supplies to Rajasthan via Punjab out of Satluj water for the period from 21.5.2020 to 20.05.2021

भराई अवधि (21.05.2020 से 20.09.2020)
Filling Period (21.05.2020 to 20.09.2020)



रिक्तीकरण अवधि (21.09.2020 से 20.05.2021)
Depletion period (21.09.2020 to 20.05.2021)



Note (1) All figures are in cusec days.
(2) The deliveries have been made as per requirements decided in Technical Committee Meeting.


नोट:-
1. सभी आंकड़े क्यूसिक दिनों में।
2. सभी सपुर्दगियां आवश्यकता अनुसार तकनीकी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार।

चित्र 12 Fig. 12


दिनांक 21.5.2020 से 20.05.2021 तक की अवधि के लिए रावी-ब्यास जल से राजस्थान को हुई जल आपूर्ति की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणिका

Statement showing position of water supplies to Rajasthan out of Ravi-Beas water for the period from 21.5.2020 to 20.05.2021

भराई अवधि (21.05.2020 से 20.09.2020)
Filling Period (21.05.2020 to 20.09.2020)



रिक्तीकरण अवधि (21.09.2020 से 20.05.2021)
Depletion period (21.09.2020 to 20.05.2021)




Note(1) All figures are in cusec days.

नोट:- सभी आंकड़े क्यूसेक दिनों में ।


दिनांक 21.5.2020 से 20.05.2021 तक की अवधि के लिए दिल्ली जल बोर्ड को की गई जल आपूर्ति की स्थिति दर्शाने वाली विवरणिका

Statement showing position of water supplies made to Delhi Jal Board for the period from 21.5.2020 to 20.05.2021

भराई अवधि (21.05.2020 से 20.09.2020)
Filling Period (21.05.2020 to 20.09.2020)



रिक्तीकरण अवधि (21.09.2020 से 20.05.2021)
Depletion period (21.09.2020 to 20.05.2021)



नोट(1)

सभी आंकड़े क्यूसिक दिनों में ।

Note(1) All figures are in cusec days.



अध्याय-6 Chapter-6

परिचालन एवं अनुरक्षण Operation & Maintenance

6.1 □□□□□□ □□□□

वर्ष 2020-21 के दौरान बीबीएमबी के विद्युत घरों का सामान्य नेमी अनुरक्षण करने के अतिरिक्त विभिन्न विद्युत घरों/पारेषण प्रणाली पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए गए:-

6.1.1 भाखड़ा विद्युत घर

क. यूनिटों का अनुरक्षण

यूनिट नं	अनुरक्षण की अवधि		अभिकथन
	से	तक	
1.	15.01.2021	31.03.2021	मशीन का वार्षिक अनुरक्षण एवं उसके लिंग लाइन के टावर में संशोधन
2	30.10.2020	24.11.2020	पेनस्टाक मुख्य द्वार तथा इसके हायस्ट सिस्टम का प्रधान अनुरक्षण
3	01.04.2020	31.03.2021	आर एम एण्ड यू के यूनिट संख्या 03 का 108 मैगावाट से 126 मैगावाट तक का कार्य प्रगति पर है
4.	28.12.2020	14.01.2021	□□□□□□ अनुरक्षण
5.	20.05.2020	31.05.2020	□□□□□□ अनुरक्षण
6.	07.12.2020	28.12.2020	□□□□□□ अनुरक्षण
7.	05.10.2020	31.03.2021	प्रधान अनुरक्षण प्रगति पर है
8.	07.11.2020	28.11.2020	□□□□□□ अनुरक्षण
9.	27.03.2021	17.04.2021	□□□□□□ अनुरक्षण

(ख) मुख्य कार्य

क) भाखड़ा बायां किनारा विद्युत घर का आर एम एंड यू

भाखड़ा बायां किनारा विद्युत घर के 5x108 मेगावाट से 5x126 मेगावाट तक के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और अपरेटिंग (आरएम एंड यू) का कार्य प्रगति पर है, जिसके अंतर्गत नए घटकों (प्रतिरक्षित घटक को छोड़कर) के साथ यूनिट नंबर-2, 4 और 5 के असेंबली और इरेक्शन कार्य को क्रमशः जुलाई 2013, अगस्त 2015 और अक्टूबर 2013 की अवधि के दौरान पहले ही पूरा कर लिया गया है तथा इन तीनों इकाइयों को सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है एवं बीबीएमबी को सौंप दिया गया है और यह 126 मेगावाट की रेटिंग क्षमता के साथ सफलतापूर्वक चल रहे हैं।

क्षमता पर सफलतापूर्वक चल रहा है।

तत्पश्चात वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भाखड़ा बायां किनारा की अगली इकाई यानी यूनिट संख्या-3 को मौजूदा 108 मैगावाट से बढ़ाकर 126 मैगावाट तक उन्नयन करने हेतु दिनांक 01.04.2019 से आरएम एंड यू पर लिया गया और यूनिट के दिसंबर/2019 के दौरान चालू होने की संभावना थी, लेकिन साइट पर विभिन्न तकनीकी मुद्दों के कारण इसके चालू होने में विलम्ब हुआ और यूनिट के जून/जुलाई-2020 के दौरान चालू होने की संभावना थी, लेकिन देश में कोविड-19 की स्थिति और देश में 23 मार्च-2020 से लागू लॉकडाउन

के कारण यूनिट नं. 3 के आरएम एंड यू का कार्य साइट पर रोक दिया गया था और इसके उपरांत एंड्रिटज़ हाइड्रो द्वारा कोविड-19 के कारण सीमित जनशक्ति के साथ इस कार्य को शुरू किया गया था, तथा मैसर्स हिताची द्वारा टर्बाइन हिस्से के कार्य के लिए, साइट पर जापानी की आवश्यकता थी, परंतु जापानी मार्च -2021 के अंत तक भारत आ सकते थे, जिसके परिणामस्वरूप यूनिट नं 3 के टर्बाइन भाग का लंबित कार्य अप्रैल-2021 के दौरान शुरू किया जा सका तथा अब यूनिट को जून-जुलाई/2021 के दौरान चालू किया जाना था, लेकिन भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण फिर से जापानियों ने अप्रैल के अंत तक भारत छोड़ने का फैसला किया, जिसके परिणामस्वरूप यूनिट नंबर 3 के चालू होने में और विलम्ब होने की संभावना है जब तक कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर की स्थिति सामान्य होने के बाद जापानी फिर से साइट पर नहीं पहुंच जाते।

1. यूनिट नंबर 3 के आरएम एंड यू के निम्नलिखित बिन्दु वार्षिक रिपोर्ट अर्थात वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान पूर्ण हुए।
- ए.** डीई तथा एनडीई पंखे, रोटर पोल्स, ब्रेक ट्रेक ब्रेक जेक इत्यादि की अंतिम असेंबली मौजूदा बनाए गए रोटर पर सफलतापूर्वक पूर्ण हुई।
- बी.** रोटर की अंतिम असेंबली और अनुमोदित गुणवत्ता योजना के अनुसार उसका विधियुत परीक्षण साइट पर सफलतापूर्वक किया गया।
- सी.** रोटर लिफ्टिंग बीम और दोनों ईओटी क्रैन के सफलतापूर्वक संचालन के माध्यम से जेनरेटर फ्लोर से लगभग 410 टन वजन के रोटर को उठाने और फिर उसे यूनिट संख्या 03 के जेनरेटर पिट में रखने का कार्य किया गया।
- डी.** ऊपरी ब्रेकेट को उठाकर और फिर उसे यूनिट संख्या 03 के स्टेटर फ्रेम पर रखने का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ।
- ई.** ऊपरी ब्रेकेट और निचली ब्रेकेट का अंतिम संरेखण सफलतापूर्वक पूरा हुआ।
- एफ़.** टरबाइन शाफ्ट मुक्त मापदंडो के संदर्भ में अकेले जेनरेटर का अंतिम संरेखण सफलतापूर्वक किया गया।

2. यूनिट संख्या 7 का प्रधान अनुरक्षण कार्य, कार्य आदेश के नियमों एवं शर्तों के अनुसार दिनांक 05.10.2020 को संविदा पर शुरू किया गया तथा प्रगति पर है।
3. भाखड़ा बायां किनारा विद्युत घर के यूनिट बे के सीजीएल मेक यूनिट ब्रेकर की ओवरहॉलिंग सीजीएल फर्म के अभियंताओं द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
4. 04 न°आउटगोइंग बीबीएमबी फीडरों के पुराने इलैक्ट्रो-मैकेनिकल बैकअप वर्तमान अर्थ फ़ाल्ट रिलेस को नए न्यूमैरिकल आधारित रिले के साथ बदलने का कार्य को सीमेंस फर्म के अभियंताओं द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

5. □□□□□□ □□पी-II □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ 2 □□ □□□□□□□□
 □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□
 □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□

- इसके बाद
6. -1
 7. 04 सहयोगी 66/220
 8. 5
 9. -1
 10. -2
 11. -5
 12. -1150
 13. -1700/-1433 2
 14. 1 4
 15. -1
 16. -1
- चैंबर

3	-	-	-
कोटला			
1	27.07.2020	29.07.2020	तिमाही अनुरक्षण
2	21.05.2020 30.07.2020	23.05.2020 01.08.2020	अनुरक्षण कार्य के लिए मशीन को बंद किया गया (कम निर्वहन) अर्धवार्षिक अनुरक्षण
3	24.03.2021	31.03.2021	वार्षिक अनुरक्षण के लिए मशीन को बंद किया गया

□. **मुख्य कार्य**

गंगूवाल एवं विद्युत

1. 08/06/2020 132 गंगूवाल- अर्द्ध
2. 31/10/2020 गंगूवाल 132/220 90 I/ T-2
3. 05/11/2020 132 गंगूवाल-
4. 06/11/2020 गंगूवाल 132 गंगूवाल- .1
5. 10/11/2020 गंगूवाल 132 केवी कप्लर
6. 16/11/2020 गंगूवाल 132 16 / -3
7. 19/11/2020 गंगूवाल 132 16 / -2
8. 07/12/2020 गंगूवाल 132 /33 12.5 / -1
9. 15/12/2020 गंगूवाल 132/220 केवी 90 एमवीए/एलटी/एफ टी-1
10. 03/11/2020 गंगूवाल- 1
11. 04/11/2020 132 - 2
12. 26/11/2020 132 - 2 अर्द्ध

13. 10/12/2020 से 132 से 3 अर्द्ध

14. 25/12/2020 से 132 से 1 का अर्द्ध

6.1.3

यूनिट नं	अनुरक्षण की अवधि		कथन
	से	तक	
6	01.02.2020	06.04.2020	मशीन के वार्षिक रखरखाव के साथ-साथ मशीन के सुरक्षा पैनल को बदलने का कार्य किया गया ।
5	07.12.2020	16.01.2021	मशीन के वार्षिक अनुरक्षण के दौरान हुए मशीन के स्टेटर अर्थ फॉल्ट को ठीक किया गया ।
4	16.10.2020	19.02.2021	मशीन के वार्षिक अनुरक्षण के दौरान हुए मशीन के स्टेटर अर्थ फॉल्ट को ठीक किया गया ।

6.1.4

यूनिट नं	अनुरक्षण की अवधि	कथन
II	22.06.2020 से 27.10.2021	प्रधान अनुरक्षण वार्षिक अनुरक्षण
रोटरी वाल्व एम/सी 3 एवं 4	10.02.2021 से आगे	मशीन सं 03 तथा 04 के रोटरी वाल्व का प्रधान अनुरक्षण दिनांक 10.02.2021 से प्रगति पर है।
III	14.02.2020 से 30.03.2021	दिनांक 30.03.2021 को मशीन न°3 का प्रधान अनुरक्षण पूरा किया गया लेकिन रोटर के संबंध में मशीन का संरक्षण अभी भी किया जाना है।

6.1.5

०० ००० ००००० ०००००००००० ०० ०००००० 10,००० 2016 ०० ०००० ०० ०००० ००००

०००००० 21.11.17 ०० ०००००० ०००००० ०० ०००००००० ०० ०००००००० ००० ००००००० ००००००० ००० ०० ०००००००० ०००० ००० ००० ०००००००० "०००० ००००००००" ०००० ०००० ०००० ००००००० 19.11.2018 ०० ००००००००० ०० ०००००० ०००००० ०० 230००० ०००० ००० ०००००० ००० ००००००००० ०० ००००००० ०० ००० ००००००० ०००००००० ०० ००००००० ०० ००००००० ०० ००० ०००००००० ०० ०००००००००० ०० ०००००० ००००००० 2 ०० ०००००० ०००० ०००० ००००

4. ०००००० ०००००० (०००००० ०० 5)

००००००००००० ००००००० 11 ०००००००, 2011 ०० ०००००० ०००००० (०००००० ०००० 5) ०० ००, ०० ००० ०० ०० ०००००० शुरू किया गया ०० ००००००० 02.10.2013 ०० ०००० ००००००० ०००० ००००००० गया ००० ००००००० 126 ००००००००० ०० ००००००००० ०० ००० ०० ००० ०००

००००००००० ०००००००० ०० ०००००००० ०० ०००० ०० ००००००० ०००००० ००००००० ०००००००० ०० ०० ०००००० ०० 05 पर ००० ०००००००००० ००००००००० ०००००००००, ०००००००००० ०० ०००००००० 14.10.2016 ०० ००००००० ०० ००००००००० ००० ०० ०००० ०००००००० ०००००० ०० साथ ००००००० ०० ००००००००० ००००००० (०००० ०००० ००० ०००००००००० ०००००००० ०० ००००००० ०००० ००) ०० ००००००० ०००००० के साथ ०००० ००००

०००००००० ००००००००००० ०० ००० ००००००, ००००००००, ००० ०० ०००० ०००००००० ०००००० ०० ०००००० ०० ०००००० ०००००० ०००००० ०००००० 21.10.2016 ०० शुरू ००० ०० ०० ००००००० 15.06.2018 ०० ००००००००० ०० ०० ००० ००० ००० ००००००० ०००००००, ०००००० ०० ००००००० 01.03.2020 ०० ००००० ००० ००००००० ००० ००००००००० ०० ००००००० ०० ००००००००० ००००००० 5 ०० ००० ०००००० ००००००००० ०० ०००००००० ०००० ०० ००००००००० ००० ००, ००००००० ०००००० ००० ००००००००० ०० ०००००००० ०० ००००००००००० ०० ० ००० ०० ०००० ००० ०००० ०००० ०००० ०००० ००००

5. ०००००० ०००००० (०००००० ०००००० 4)

०००००० का 22.11.2013 ०० ००, ०० ००० ०० ०००००००० ०० ००००० ००००० ०० ००००००० 05.08.2015 ०० ०००० ००००००० ०००० ००००० ००० ०० ००००००००० ००० 126 ००००००००० ०० ००००००००० ०००००००० ०० ०० ००० ००० ०००००० ०० 4 ०००००००, 2019 ०० ००० ०० ००००० ००० ०० ०० ००० ०० ००००००० ०० ००० ०००००००० ०००००००, ०००००० ०० ००००० ००००० ०००० ००० ००० ०००००००० ००००००००० ०० ००००००० ०० ००००००० ०० ००००००० 18 ००, 2019 ०० ०००० ००००० ००००० ००००००००० ०० ०००००००० 23.07.2019 ०० ००००००००००० ०० ००००००००००० ०००००० ०००० 4 ०० ००००००० ०००० ००००००

6. ००००० ०००००० (०००००० ०००००० 3)

००००० ००० ००० ००००००००० ०० ००० ००००००० 1 ०००००००, 2019 ०० ०००००० ०० ००० ००००० ००० ० ००००००० 05.04.2019 ०० ००००००००० ००००००० ०० ००००० ०० ००० ०००० ०००० ००००००० 29.04.2019 ०० ००० ०० ००००० ०० ००००००० ०००० ००००००० 10.05.19 को ००००००००० ०००००० ०० ०००० ०००००००० ०० ००००००००

श्रीघ्न अति शीघ्र

09.06.2021

11.06.2021

7. कोविड-19 (परिच्छेद 1)

कोविड-19

5

13.3.21

15.3.21

8. कोविड-19 कार्यो की 21-22

6.1.6 पारेषण प्रणाली

बीबीएमबी उपकेन्द्रों और पारेषण लाइनों का सामान्य कार्य निष्पादन संतोषजनक रहा।
 किए गए मुख्य कार्यो का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

v) लाइटनिंग एरेस्टोर्ज (□□□□□)

1. 220 □□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□ □□□ 220/132 □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□-3 □□ □□□□ □□□ □□ 1 □□□□ 220 □□□□ □□□ □□□□ □□□□
2. 400 □□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□ □□□ 400/220 □□□□ □□□□□□ □□ 220 □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□ 220 □□□□ □□ 01 □□□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□
3. 220 □□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□ □□□ 132 □□□□ □□□□□-□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□ 1 □□□□ □□□ □□□□ □□□□
4. 220 □□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□ □□□ 33 □□□□ □□□□□-□□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□ 33 □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□
5. 220 □□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□ □□□ 220 केवी हिसार-चिरावा सर्किट पर 220 केवी एलए को बदला गया।
6. 400 □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ 400 □□□□ □□□□□□-□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□□□□□□□ 1 □□□□ 384 □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□
7. 220 □□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□ □□□ 66 □□□□ □□ □□□-2 □□ □□□□□□□□□□□□ 60 □□□□ □□□ □□ □□ □□□ (□□□□□□ □□□) □□ □□□ □□□□ □□□□
8. 220 □□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□ □□□ 220 □□□□ □□□□□□□□ -□□□□□□ □□□□□□□-1 □□ □□□□□□□□□□□□ 198 □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ (□□□□□□□□□□□□□□ □□□) □□ □□□ □□□□ □□□□
9. 220 □□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□ □□□ 220 □□□□ □□□□□□□ □□^{गू}□□□□ □□□□□□□-1 □□ 198 □□□□ □□□ □□ □□ □□□ (□□□□□□□□□□□□□□ □□□) □□ □□□ □□□□ □□□□
10. 220 □□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□ □□□ 220 □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□-11 □□ 198 □□□□ □□□ □□ □□ □□□ (□□□□□□□□□□□□□□ □□□) □□ □□□ □□□□ □□□□
11. 220 □□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□ □□□ 220 □□□□ □□□□□□ - □□□□□□□□□□□□ □□/□□ □□ 198 □□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ (□□□□□□□□□□□□□□ □□□) □□ □□□ □□□□ □□□□
12. 220 □□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□ □□□ 132 □□□□ □□□□□□□□ - □□□□□□ □□/□□ □□ □□□□□□□□□□□□ 120 □□□□ □□ □□ □□□ (□□□□□□□ □□□) □□ □□□ □□□□ □□□□

VI) □□□□□□□□□□

1. 220 □□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□ □□□ □□ □□□□-1 □□ □□ □□□□ 72.5 □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□

2. 220 किलोवाट की शक्ति, 220 किलोवाट, 220 किलोवाट की शक्ति 220-2 की शक्ति 72.5 किलोवाट की शक्ति
3. 220 किलोवाट की शक्ति, 220 किलोवाट, 220 किलोवाट की शक्ति 220-1 की शक्ति 72.5 किलोवाट की शक्ति
4. 220 किलोवाट की शक्ति, 220 किलोवाट, 220 किलोवाट की शक्ति 220-1 की शक्ति 72.5 किलोवाट की शक्ति
5. 400 किलोवाट की शक्ति, 220 किलोवाट, 220 किलोवाट की शक्ति 09 किलोवाट 145 किलोवाट की शक्ति

vii) **परीक्षण एवं परीक्षण**

1. 400 किलोवाट की शक्ति, 220 किलोवाट, 220 किलोवाट की शक्ति 400/200 किलोवाट की शक्ति 632 किलोवाट की शक्ति की शक्ति 7 की शक्ति-85 किलोवाट की शक्ति
2. 220 किलोवाट की शक्ति, 220 किलोवाट, 220 किलोवाट की शक्ति 12.10.2020 की शक्ति 220 किलोवाट की शक्ति
3. 220 किलोवाट की शक्ति-लाइन की शक्ति 220 किलोवाट की शक्ति, 220 किलोवाट, 220 किलोवाट की शक्ति 2 किलोवाट-31 किलोवाट की शक्ति के साथ किलोवाट की शक्ति
4. 400 किलोवाट की शक्ति, 220 किलोवाट, 220 किलोवाट की शक्ति 31 किलोवाट की शक्ति, 4 किलोवाट की शक्ति 10 किलोवाट की शक्ति
5. 220 किलोवाट की शक्ति, 220 किलोवाट की शक्ति 220/132 किलोवाट 100 किलोवाट की शक्ति-3 की शक्ति स्टैटिक की शक्ति (किलोवाट की शक्ति) की शक्ति
6. 220 किलोवाट की शक्ति 220 किलोवाट की शक्ति 220 किलोवाट की शक्ति-4 की शक्ति 220 किलोवाट की शक्ति-2 की शक्ति 2 किलोवाट की शक्ति 220 किलोवाट की शक्ति-21 की शक्ति की शक्ति (किलोवाट की शक्ति) की शक्ति
7. 220 किलोवाट की शक्ति 220/66 किलोवाट, 100 किलोवाट की शक्ति-1 की शक्ति-2, 220 किलोवाट की शक्ति-गू की शक्ति 220 किलोवाट की शक्ति-किलोवाट की शक्ति 4 किलोवाट 220 किलोवाट की शक्ति की शक्ति (किलोवाट की शक्ति) की शक्ति

परिचालन के अन्तर्गत 2019-20 के दौरान 1272 करोड़ रुपये (10313.39 करोड़ रुपये) का निवेश किया गया है। इसमें 31.46% का निवेश निम्नलिखित प्रकार से किया गया है-

- घ. **परिचालन के अन्तर्गत 2019-20 के दौरान 473.05 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।**
- ड. **परिचालन के अन्तर्गत 2019-20 के दौरान 4200 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।**
- च. **परिचालन के अन्तर्गत 2019-20 के दौरान बेसिन के अन्तर्गत 78.37 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।**
- छ. **परिचालन के अन्तर्गत 2019-20 के दौरान 1364.59 करोड़ रुपये (4477 करोड़ रुपये) का निवेश किया गया है।**
- ज. **परिचालन के अन्तर्गत 2019-20 के दौरान 99.16 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।**
- झ. **परिचालन के अन्तर्गत 2019-20 के दौरान 1.517 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।**

6.2.2.2 ब्यास परियोजना यूनिट-II (पौंग बांध)

परिचालन के अन्तर्गत 2019-20 के दौरान 46 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इसमें 31.46% का निवेश निम्नलिखित प्रकार से किया गया है-

- क. **परिचालन के अन्तर्गत 2019-20 के दौरान 46 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।**

□-□□□□□□ □□□□□□ (□-□□□) □□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□
□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□
□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□

6 2 □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □-□□□□□□□□□□/□-
□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□

□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□. 2.00
□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □-□□□□□□□□□□□□□□□□/□-
□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□
□□□□



अधुाड-7 Chapter-7

खल-शकुत अधुडन Water Power Study

दिनांक 1.4.2020 से 31.3.2021 तक की अवधि के लिए भाखड़ा जलाशय के परिचालन हेतु वास्तविक जल

विद्युत आंकड़े

माह	अवधि	अंतर्वाह क्यूसेक दिन					नंगल तथा रोपड़ के बीच लाभ अथवा हानि (क्यूसेक दिन)	दिल्ली जल बोर्ड (क्यूसेक दिन)	डब्ल्यू. जे. सी. अंशदान (क्यूसेक दिन)	भाखड़ा जलाशय से रिलीजेज (क्यूसेक दिन)	अंतिम जलाशय स्तर (फीट)	भाखड़ा विद्युत घरों का औसत विद्युत		गंगुवाल एवं कोटला विद्युत घरों का औसत विद्युत		भाखड़ा कॉम्प्लेक्स से उपलब्ध कुल विद्युत		देहर विद्युत से कुल उत्पादन
		सतलु ज	देहर विद्युत संयंत्र	वाई पास शूट	योग कालम (4+5)	योग कालम (3+6)						एम डब्ल्यू	एलयू	एम डब्ल्यू	एलयू	एम डब्ल्यू	एलयू	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31.03.2020 को आरंभिक जलाशय : 1599.26 फीट																		
अप्रैल 2020	01-10	6905	3002	-	3002	9907	-300	496	0	14999	1595	463	111	150	36	612	147	60
	11-20	7399	4517	-	4517	11916	-300	496	0	15139	1592	460	110	149	36	609	146	87
	21-30	8478	4573	-	4573	13050	-300	496	0	17343	1589	515	124	141	34	655	157	89
मई	01-10	11610	5772	-	5772	17381	-600	496	0	27096	1579	775	186	150	36	925	222	109
	11-20	13544	5889	-	5889	19433	-600	496	0	34369	1564	959	230	149	36	1108	266	111
	21-31	13982	7566	-	7566	21548	-600	496	0	24970	1561	683	164	137	33	821	197	135
जून	01-10	13956	7459	-	7459	21415	-600	496	0	21443	1562	596	143	150	36	747	179	135
	11-20	24196	8499	-	8499	32695	-600	496	0	26248	1569	730	175	149	36	879	211	147
	21-30	35507	8511	-	8511	44018	-600	496	0	30326	1583	863	207	148	36	1011	243	146
जुलाई	01-10	37025	8456	-	8456	45481	1000	125	0	34366	1593	995	239	150	36	1144	275	144
	11-20	33994	8463	-	8463	42457	1000	125	0	24219	1607	735	177	146	35	882	212	143
	21-31	27348	8459	-	8459	35807	1000	125	0	19842	1620	639	153	138	33	776	186	143
अगस्त	01-10	34219	8443	-	8443	42663	1000	125	3548	244725	1632	791	190	145	35	935	225	141
	11-20	41202	8417	-	8417	49619	1000	125	7189	24664	1647	817	196	148	35	965	232	140
	21-31	34232	8427	-	8427	42659	1000	125	8041	24200	1657	821	197	146	35	967	232	138
सितम्बर	01-10	27257	8424	-	8424	35681	0	125	10417	24148	1663	820	197	148	36	968	232	139
	11-20	18249	7336	-	7336	25584	0	125	822	30874	1660	1047	251	150	36	1197	287	130
	21-30	14103	7156	-	7156	21259	0	125	0	30444	1654	1030	247	148	36	1171	283	125
अक्टूबर	01-10	10380	4497	-	4497	14877	0	496	0	26572	1648	888	213	148	35	1036	249	87
	11-20	8186	3994	-	3994	12180	0	496	0	21895	1643	732	176	136	33	868	208	78
	21-31	5933	2814	-	2814	8747	0	496	0	14412	1639	486	117	144	35	630	151	53
नवम्बर	01-10	6040	2144	-	2144	8184	0	496	0	12769	1636	413	99	143	34	557	134	41
	11-20	5677	1960	-	1960	7637	0	496	0	13288	1632	425	102	147	35	572	137	38
	21-30	5394	1935	-	1935	7329	0	496	0	13012	1629	415	100	139	33	554	133	38
दिसम्बर	01-10	4804	1804	-	1804	6609	100	496	0	13804	1618	440	106	148	36	588	141	36
	11-20	4815	1677	-	1677	6492	100	496	0	16009	1624	510	122	148	36	658	158	33

	21-31	5191	1479	-	1479	6670	100	496	0	18431	1609	591	142	149	36	740	178	29
जनवरी 2021	01-10	4156	1561	-	1561	5717	200	496	0	12513	1604	393	94	138	33	531	127	31
	11-20	4313	1383	-	1383	5696	200	496	0	12824	1599	391	94	142	34	534	128	27
	21-31	5318	1299	-	1299	6617	200	496	0	14464	1591	439	105	151	36	590	142	26
फरवरी	01-10	4434	1187	-	1187	5621	400	496	0	13630	1584	402	96	149	36	551	132	24
	11-20	4660	1248	-	1248	5908	400	496	0	14923	1576	433	104	150	36	583	140	25
	21-28	5305	1203	-	1203	6508	400	496	0	15562	1568	446	107	150	36	596	143	24
मार्च	01-10	4397	1320	-	1320	5717	200	496	0	15510	1557	442	106	150	36	592	142	27
	11-20	5717	1408	-	1408	7125	200	496	0	14915	1546	408	98	150	36	558	134	29
	21-31	4926	1707	-	1707	6633	200	496	0	13361	1537	358	86	117	28	475	114	35

दिनांक 1.4.2020 से 31.3.2021 तक की अवधि के लिए पौंग जलाशय के परिचालन हेतु वास्तविक जल विद्युत आंकड़े

माह	अवधि	पौंग में अंतर्वाह (क्यूसेक ^u)	पौंग एवं मंडी प्लेन के बीच लाभ अथवा हानि (क्यूसेक ^u)	रावी से ब्यास को शुद्ध प्रत्यावर्तन (क्यूसेक)	पौंग जलाशय से रिलीजेज (क्यूसेक ^u)	अंतिम जलाशय स्तर (फीट)	पौंग से उत्पादन एम डब्ल्यू एलयू	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
31.03.2020 को आरंभिक जलाशय = 1359.34 फीट								
अप्रैल 2020	01-10	5602	0	2768	3606	1360	68	16
	11-20	4425	0	3720	4544	1360	89	21
	21-30	4975	0	3525	11128	1357	216	52
मई	01-10	5230	-500	4063	14006	1353	267	64
	11-20	4979	-500	4334	15005	1349	283	68
	21-31	4680	-500	1759	15004	1344	278	67
जून	01-10	5824	-500	3109	15007	1340	274	66
	11-20	6517	-500	6198	14899	1336	269	64
	21-30	12072	-500	5687	15006	1335	268	64
जुलाई	01-10	14476	1125	5659	13805	1335	246	59
	11-20	14114	1125	5912	13108	1336	234	56
	21-31	17631	1125	5570	10372	1340	186	45
अगस्त	01-10	21564	1125	5314	11803	1345	216	52
	11-20	42509	1125	4759	8861	1359	167	40
	21-31	40916	1125	2935	5932	1374	119	28
सितम्बर	01-10	20099	1125	250	10708	1376	220	53
	11-20	9164	1125	536	13927	1375	284	68
	21-30	4036	1125	3198	10306	1372	210	50
अक्टूबर	01-10	3100	750	1897	11246	1369	225	54
	11-20	3280	750	2581	9967	1367	200	48
	21-31	2278	750	2763	10219	1363	203	49
नवम्बर	01-10	1707	375	3203	8679	1361	171	41
	11-20	1731	375	3204	8505	1358	165	40
	21-30	2026	375	4769	7964	1355	152	36
दिसम्बर	01-10	2100	375	3782	9725	1352	186	45
	11-20	2192	375	3438	11060	1348	208	50
	21-31	2734	375	2464	10522	1344	196	47
जनवरी 2021	01-10	3192	375	2733	10837	1341	198	48
	11-20	1881	375	3463	9986	1337	180	43
	21-31	2051	375	1166	10263	1333	183	44
फरवरी	01-10	1784	0	461	11338	1328	199	48
	11-20	2280	0	223	12936	1322	223	54

	21-28	1919	0	0	14924	1316	254	61
मार्च	01-10	1571	375	0	13217	1309	223	53
	11-20	1220	375	0	10239	1303	167	40
	21-31	1233	375	0	6167	1299	97	23



अध्याय-8 Chapter-8

पुरस्कार एवं सम्मान Honours and Awards

8.1 वर्ष 2019-20 के अंतर्गत 31.03.2020 तक बीबीएमबी द्वारा जीते गए पुरस्कार:

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड सचिवालय को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा 2020-2021 के दौरान "ख" क्षेत्र में राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए प्रथम और द्वितीय पुरस्कार दो अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात मुख्य अभियंता/पारेषण प्रणाली और निदेशक पी एंड डी (पीपी), बीबीएमबी, चंडीगढ़ के लिए घोषित किए गए।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड सचिवालय को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा 2020-2021 के दौरान "ख" क्षेत्र में राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए प्रथम और द्वितीय पुरस्कार दो अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात मुख्य अभियंता/पारेषण प्रणाली और निदेशक पी एंड डी (पीपी), बीबीएमबी, चंडीगढ़ के लिए घोषित किए गए।

2. व्यावसायिक पुरस्कार

इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दिनांक 25.02.2021 को आईपीपीआई पावर अवार्ड्स में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, बीबीएमबी (पोंग) को "बेस्ट हाइड्रो पावर जेनरेटर" की श्रेणी में विजेता एवं भाखड़ा (बायां किनारा पावर हाउस और दायां किनारा पावर हाउस) की श्रेणी में उपविजेता घोषित किया गया।

3. हिंदी पुरस्कार

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड सचिवालय को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा 2020-2021 के दौरान "ख" क्षेत्र में राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए प्रथम और द्वितीय पुरस्कार दो अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात मुख्य अभियंता/पारेषण प्रणाली और निदेशक पी एंड डी (पीपी), बीबीएमबी, चंडीगढ़ के लिए घोषित किए गए।

4. खेल पुरस्कार

- 18.02.2021 से 20.02.2021 तक राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड सचिवालय को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा 2020-2021 के दौरान "ख" क्षेत्र में राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए प्रथम और द्वितीय पुरस्कार दो अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात मुख्य अभियंता/पारेषण प्रणाली और निदेशक पी एंड डी (पीपी), बीबीएमबी, चंडीगढ़ के लिए घोषित किए गए।
- 05.03.2021 से 08.03.2021 तक राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड सचिवालय को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा 2020-2021 के दौरान "ख" क्षेत्र में राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए प्रथम और द्वितीय पुरस्कार दो अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात मुख्य अभियंता/पारेषण प्रणाली और निदेशक पी एंड डी (पीपी), बीबीएमबी, चंडीगढ़ के लिए घोषित किए गए।
- 13.03.2021 से 15.03.2021 तक राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड सचिवालय को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा 2020-2021 के दौरान "ख" क्षेत्र में राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए प्रथम और द्वितीय पुरस्कार दो अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात मुख्य अभियंता/पारेषण प्रणाली और निदेशक पी एंड डी (पीपी), बीबीएमबी, चंडीगढ़ के लिए घोषित किए गए।



अध्याय-9 Chapter-9

पर्यावरण प्रबन्धन Environment Management

9.1 पर्यावरण प्रबन्धन

नदी घाटी परियोजनाओं का पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रशासनिक आवश्यकता के रूप में 1979 में आरम्भ किया गया था, परन्तु बाद में प्रभाव आकलन की अधिसूचना द्वारा इसे जनवरी, 1994 से अनिवार्य कर दिया गया। जल-विद्युत शक्ति, मुख्य सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण सहित उनके सम्मिश्रण के लिए नई नदी घाटी परियोजनाओं के लिए गज़ट अधिसूचना संख्या एस.ओ. 60 (ई) दिनांक 27 जनवरी, 1994 (तदन्तर संशोधित) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। इसमें सुरक्षा तथा न्यूनीकरण दोनों उपाय कवर किए गए हैं। नदी घाटी परियोजनाओं के लिए वर्तमान पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए)/पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) में निम्नलिखित कार्रवाई योजनाएं आती हैं:-

- आवाह-क्षेत्र निरूपण योजना (सीएटी)
- वृक्षारोपण योजना
- पेड़-पौधे तथा जीव-जन्तु के सर्वेक्षण और पुनः स्थापन के लिए कार्रवाई योजना
- पुनर्वास तथा पुनः स्थापन योजना (आर एण्ड आर), यदि कोई है;
- नियंत्रण क्षेत्र विकास योजना (सीएडी)

भाखड़ा तथा ब्यास परियोजनाओं के सम्बन्ध में आर एण्ड आर योजनाओं का प्रावधान था किन्तु सीएटी, सीएडी, वनीकरण योजनाओं, आदि जैसी अन्य योजनाओं के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था क्योंकि इन परियोजनाओं का निर्माण 1979 से पहले हुआ था। तथापि बीबीएमबी ने अपने आप निर्माण के बाद की पर्यावरणीय घटकों की स्थिति तथा इनके प्रभाव का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना भी आरम्भ किया है ताकि सभी परियोजनाओं केन्द्रों पर अल्पावधि एवं दीर्घावधि न्यूनीकरण उपाय किए जा सकें।

9.2 बीबीएमबी परियोजनाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

योजना स्तर पर विचार किए गए प्रभावों की तुलना में भाखड़ा एवं ब्यास परियोजनाओं के लाभकारी प्रभाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। भाखड़ा तथा ब्यास परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाएं होने के कारण इनमें दो बड़े भण्डारण जलाशय हैं, जिनके नाम 'गोबिंदसागर' तथा 'महाराणा प्रताप सागर' हैं। ये जलाशय पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली तथा चण्डीगढ़ को सिंचाई एवं पीने का पानी उपलब्ध कराते हैं। ये जलाशय तथा इनसे जुड़ी नहर प्रणाली उत्तरी क्षेत्र में 'हरित क्रांति' ही नहीं अपितु 'श्वेत तथा औद्योगिक क्रांति' भी लाई है।

बीबीएमबी की परियोजनाओं से रोजगार के अवसरों में वृद्धि, अच्छी ऊर्जा और सिंचाई सुविधाएँ, उन्नत औद्योगिकरण, बाढ़ों की रोकथाम के कारण बाधों के डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में परिस्थितिकीय सुधार द्वारा क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक उन्नति हुई है।

इसके अतिरिक्त, ये जलाशय न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, बल्कि मत्स्य पालन को भी बढ़ावा देते हैं।

पौंग बांध झील (अर्थात् महाराणा प्रताप सागर) को वेटलैंड पर 1971 के रामसर सम्मेलन के अंतर्गत अगस्त 2002 में "अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड" की सूची में

शामिल किया गया है। प्रवासी पक्षियों की 220 प्रजातियां एक लाख से अधिक संख्या में प्रत्येक वर्ष महाराणा प्रताप सागर का भ्रमण करती हैं। नंगल झील को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2008 में राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

बीबीएमबी ने माह, अगस्त 2005 को नई दिल्ली में, "भाखड़ा नंगल परियोजना के प्रभाव" विषय पर केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड के सहयोग से एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कराया। बीबीएमबी ने इस कार्यशाला के माध्यम से भाखड़ा-नंगल परियोजना के सकारात्मक प्रभावों से संबंधित तथ्यों को राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया।

9.3 बीबीएमबी के लिए पर्यावरण प्रबन्ध कार्यक्रम

बीबीएमबी के लिए पर्यावरण प्रबन्ध योजना के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए:-

- 1999 में नीरी, नागपुर से बीबीएमबी की बीएसएल लिंक परियोजना सुन्दरनगर के संतोलक जलाशय की गाद के सही प्रबन्धन के लिए ईआईए अध्ययन करवाया गया। इनकी सिफारिशों के अनुसार पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचने के लिए गाद केवल मॉनसून के दौरान ही निकाली जा रही है।
- विशेषज्ञ समिति की अन्तिम रिपोर्ट माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की गई है जिसमें यह निष्कर्ष दिया गया है कि बीएसएल परियोजना पर, गाद के प्रबन्ध हेतु केवल मॉनसून के दौरान ड्रेजिंग की जाएगी। माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला के निर्णय के पश्चात् मामला 211वीं बैठक में बोर्ड के समक्ष रखा गया था और बोर्ड की स्वीकृति के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 14.12.2012 के अंतरिम आदेश में हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कोई कठोर कदम न उठाने का निर्देश दिया है। तत्पश्चात् मामले पर 21.01.2013 को सुनवाई हुई। माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में राहत देते हुए निर्देश दिया है कि दिनांक 14.12.2012 के आदेश के अन्तर्गत जारी अंतरिम राहत आदेश लागू रहेंगे।
- संतोलक जलाशय से अधिकतम गाद को बाहर निकालने हेतु मॉनसून मौसम के दौरान लचीली और विश्वसनीय ड्रेजिंग क्षमता सुनिश्चित करने हेतु 3 नं. ड्रेज़र लगाए गए।
- मॉनसून के दौरान सुकेती खड्ड एवं कांसा खड्ड और ब्यास नदी के विभिन्न स्थलों पर निकलने वाले फ्लो डिस्चार्ज और कुल सस्पेन्डिड सॉलिड के मापन का प्रेक्षण किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष गाद के अध्ययन हेतु, यदि कोई है तो, मॉनसून के पहले और बाद में सुकेती खड्ड के साथ-साथ एल-सैक्शन और क्रॉस-सैक्शन भी प्रेक्षित किए जा रहे हैं।
- बीएसएल परियोजना के लिए पन्डोह बांध के अप-स्ट्रीम से लारज़ी बांध तक ब्यास नदी एवं इसकी सहयोगी उप नदियों हेतु हिमालयन वन शोध संस्थान से कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान (सीएटी) तैयार कराई गई है।

- भाखड़ा और ब्यास कैचमेंट में बहुत सी नई जल विद्युत परियोजनाएं आ रही हैं और सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा अपनी सीएटी योजनाएं तैयार की जानी हैं।
- अन्य न्यूनीकरण उपाय, जैसे व्यवस्थित ढंग से मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा, गाद प्रभावित कृषि भूमि पर एक मुश्त खेती प्रबन्ध, गांव की सड़कों की टैरिंग इत्यादि।
- इसके सुरक्षित एवं वैज्ञानिक तरीके से निपटान हेतु परियोजना क्षेत्रों के चारो तरफ सॉलिड मैनेजमेंट प्लान तैयार करना।
- बीबीएमबी, अपनी हाइड्रो परियोजनाओं और विद्युत उत्पादन यूनिटों के पर्यावरण प्रबन्ध प्रणाली हेतु आईएसओ 14001:2015 प्रमाणित संगठन है।
- भाखड़ा और पौंग बांधों के आर एंड आर पहलुओं को पूरा किया जा रहा है।

9.4 पंडोह बांध से 15% न्यूनतम बहाव जारी करना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 16.07.2005 तथा 09.09.2005 की अधिसूचनाओं द्वारा हिमाचल प्रदेश में विद्यमान एवं आने वाली जल विद्युत परियोजनाओं की डाइवर्जन संरचनाओं के डाउनस्ट्रीम में 15% तक न्यूनतम बहाव तुरन्त छोड़ने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए हैं। बीबीएमबी का पण्डोह बांध डाइवर्जन बांध होने के कारण इस अधिसूचना की परिधि के अन्तर्गत आता है। सितम्बर, 2005 से बीबीएमबी पण्डोह बांध से 15% का न्यूनतम बहाव छोड़ता रहा है। तथा पि, बीबीएमबी ने पुरानी परियोजनाएं होने के कारण बीबीएमबी परियोजनाओं पर इसके लागू होने के संबंध में छूट देने का मामला विद्युत मंत्रालय के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) के साथ भी उठाया है।

9.5 वृक्षारोपण

बीबीएमबी अपनी खाली पड़ी भूमि पर प्रत्येक वर्ष नियमित वृक्षारोपण कार्यक्रम द्वारा उद्यानों, टीलों, जलाशयों के सीमावर्ती क्षेत्रों, परियोजना कॉलोनियों, कार्यालयों आदि के रख-रखाव और पारिस्थितिक सुधार द्वारा पर्यावरण में सुधार करता रहा है।

9.6 तलवाड़ा में रॉक गार्डन

तलवाड़ा टाउनशिप में लगभग 20 एकड़ खाली पड़ी जमीन पर बीबीएमबी ने “चण्डीगढ़ रॉक गार्डन” के संस्थापक पद्मश्री नेक चन्द के प्रबन्ध अधीन एक आधुनिक रॉक गार्डन विकसित किया है जो इस प्रकार का पहला उद्यान है। तलवाड़ा में रॉक गार्डन का विकास ब्यास बांध से एकत्रित बेकार और फालतू सामग्री से किया गया है। इसमें बांध निर्माण को चित्रित करते हुए इंजीनियरिंग खण्ड, पर्यावरण खण्ड और बाल उद्यान जैसी अद्वितीय विशेषताएं हैं। इस आधुनिक रॉक गार्डन का उदघाटन पद्मश्री नेक चन्द की उपस्थिति में, अध्यक्ष, बीबीएमबी, चण्डीगढ़ द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2005 को किया गया। इस गौरवशाली गार्डन में प्रतिवर्ष नए विकास कार्य किए जा रहे हैं।

9.7 समाज कल्याण गतिविधियाँ

- बीबीएमबी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति अत्यधिक जागरूक है। प्रत्येक परियोजना स्थल पर बीबीएमबी परियोजना स्थल के आसपास रहने वाले लोगों के लिए समाज कल्याण गतिविधियों पर उदारता से खर्च कर



अध्याय-10 Chapter-10

मानव संसाधन विकास Human Resource Development

बीबीएमबी की जरूरतों तथा कार्य संस्कृति के अनुसार प्रशिक्षित करना अनिवार्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त, स्टाँफ के उनके मूल विभाग से बार-बार स्थानांतरण/विभाग को प्रत्यावर्तन के कारण यह भी अनिवार्य हो जाता है कि नियमित आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए ताकि सभी नवागंतुकों को बीबीएमबी की कार्य अपेक्षाओं एवं संस्कृति की जानकारी दी जा सके। अतः यह आवश्यक है कि सभी श्रेणियों के कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाए ताकि उनकी तकनीकी/प्रबंधकीय कुशलता में सुधार हो और उन्हें नवीनतम जानकारी एवं अभिनव प्रौद्योगिकियों से लैस किया जा सके। सिंचाई खण्ड एवं विद्युत खण्ड के नव शामिल अभियन्ताओं के लिए परियोजना केन्द्रों पर समय समय पर अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।

घ बीबीएमबी द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण निम्नानुसार है:-

- i. संस्थागत प्रशिक्षण जिसमें बीबीएमबी के विभिन्न केन्द्रों पर स्थित भिन्न-भिन्न संस्थानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनारों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भाग लेने हेतु कार्मिकों को नामित किया जाता है अथवा बीबीएमबी कार्मिकों के लिए बाह्य विशेषज्ञों/शिक्षा संकायों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं।
- ii. बीबीएमबी के अपने विशेषज्ञों द्वारा इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम
- iii. नई भर्ती द्वारा अथवा भागीदार राज्यों से बीबीएमबी में कार्य ग्रहण करने वाले कार्मिकों को प्रवेश प्रशिक्षण
विद्युत यूटिलिटीज़/भागीदार राज्यों के डिस्कॉम के वितरण सुधारों पर डीआरयूएम प्रशिक्षण
- iv. दूसरे संगठनों के इंजीनियरों जैसे; हरियाणा सिंचाई से एचसीएस परिवीक्षार्थी, एनपीटीआई, पीएसपीसीएल इत्यादि को ऑन-जॉब साइट प्रशिक्षण ।
- v. भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से आने वाले अंडर ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण ।
- vi. □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□
□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□
□□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□
- vii. □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□ □□□ □□□-□□□ □□ □□□□□□□□ □□
□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□
- viii. □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□
□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□
□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□
□□□□□□

बीबीएमबी में उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों यथा इंजीनियरों, अनुसचिवीय स्टाँफ, अधीक्षक/सहायकों, आदि (गैर-तकनीकी श्रेणी) और कामगार श्रेणी को प्रशिक्षण देने के लिए संचालित किए जा रहे हैं।

कामगार श्रेणी/अनुसचिवीय स्टाँफ श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए संस्थागत प्रशिक्षण सस्ता नहीं पड़ता है इसलिए प्रबन्धन ने सभी परियोजना केन्द्रों/कार्य स्थलों पर गहन इन-हाउस प्रशिक्षण/इंटरैक्टिव वर्कशॉप/सम्मेलन इत्यादि कार्यक्रमों के आयोजन का निर्णय लिया है। सभी परियोजना केन्द्रों/कार्य स्थलों पर तकनीकी प्रबंधन, प्रेरणा, स्वास्थ्य, वित्त आदि जैसे विविध विषयों पर बड़े पैमाने पर पारस्परिक कार्यशालाएं/सेमिनार आदि आयोजित किए जा रहे हैं।

बीबीएमबी ने अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपना मूलढाँचा तैयार किया है। वर्ष 2003 में एसएलडीसी कॉम्प्लैक्स, चण्डीगढ़ में इन हाउस व्याख्यान/कार्यशालाएं/सेमिनारों के आयोजन हेतु व्याख्यान कक्ष स्थापित किया गया है। मार्च, 2005 से नंगल में, प्रशिक्षण केन्द्र के नाम से "भाखड़ा ब्यास प्रशिक्षण केन्द्र" ने काम करना शुरू कर दिया है जिसमें, अध्ययन के सभी नवीनतम साधन, सिंचाई एवं विद्युत खण्डों के लिए दो भिन्न मॉडल-कक्ष और बीबीएमबी एवं अन्य विद्युत यूटिलिटीज़ के विद्युत क्षेत्र के इंजीनियरों एवं टेक्निशियनों को संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक परिचर्चा कक्ष मौजूद है।

□□□□□□□□ □□□ "□□□□□□, □□□□□□, □□□□□□ □□ □□□□□□□□ (□□□□□□□□□□) □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ "□□□□ □□□-□□□□□" □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□

10.1.2 वर्ष 2020-21 के दौरान प्रशिक्षण की उपलब्धियां

वर्ष 2020-21 में बीबीएमबी में प्रयुक्त मानव-दिवसों के संबंध में उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

प्रशिक्षण मानव दिवस

वर्ष	निर्धारित मानव दिवस का लक्ष्य	प्रशिक्षण मानव दिवस				
		कार्यपालक		अकार्यपालक		योग
		संस्थागत प्रशिक्षण	इन-हाउस प्रशिक्षण	संस्थागत प्रशिक्षण	इन-हाउस प्रशिक्षण	
2020-21	16000	3105	2776	216	12473	18570

10.2 □□□□□□□□त जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

बीबीएमबी, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 79(1) में निर्धारित अपने कार्यों का निर्वहन करता है जिसके लिए कार्यों के परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु भागीदार राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा स्थानान्तरण आधार पर स्टाँफ की व्यवस्था की जाती है। तथापि भागीदार राज्यों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा स्टाँफ उपलब्ध कराने में असमर्थ होने की स्थिति में बीबीएमबी केवल समूह 'ग' एवं 'घ' के कर्मचारियों से सम्बन्धित सीधी भर्ती एवं पदोन्नति करता है।

बीबीएमबी में स्टाँफ पदों के आबंटित हिस्सों के पदों के अनुसार भागीदार राज्यों से लिया जात है । ऐसे कर्मचारी उनके पैतृक विभाग में उनके ऊपर लागू निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार शाषिते होते है । इस श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के लिए आरक्षण की निगरानी राज्य सरकार के पैतृक विभागों द्वारा अपनी नीतियों/नियमों/विनियमों के अनुसार की जाती है । बीबीएमबी के अपने भर्ती किए गए कर्मचारी बीबीएमबी द्वारा श्रेणी-III एवं IV कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की शर्त) विनियम, 1994 और बीबीएमबी श्रेणी-I एवं II अधिकारी (भर्ती एवं सेवा की शर्त) विनियम, 2015 द्वारा शासित होते हैं । बीबीएमबी श्रेणी-III एवं IV कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की शर्त) विनियम, 1994 और बीबीएमबी श्रेणी-I एवं II अधिकारी (भर्ती एवं सेवा की शर्त) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार बीबीएमबी में अप्रैल, 2017 तक में पंजाब सरकार की आरक्षण नीति लागू थी । अब भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार मई, 2017 से बीबीएमबी में केन्द्र सरकार की आरक्षण नीति का अनुसरण किया जा रहा है । इन विनियमों की संशोधित धारा II में निर्दिष्ट है कि सेवा के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, शरीरिक दिव्यांग व्यक्तियों तथा सेवा में मृतक कर्मचारी के आश्रितों को केन्द्र सरकार की नीति के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर यथानिर्धारित सेवा में आरक्षण तथा सभी अन्य रियायतें प्राप्त होगी । बीबीएमबी के विभिन्न प्रशासनों/विभागाध्यक्षों द्वारा रोस्टर रजिस्ट्रों का रख-रखाव किया जाता है ।

01.01.2021 को बीबीएमबी के अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या/प्रतिशतता निम्नानुसार है:-

वर्ग	बीबीएमबी द्वारा स्वयं भर्ती किए गए कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति	प्रतिशतता
क	72	19	26.38%
ख	380	80	21.05%
ग	1866	521	27.92%
घ	1966	553	28.12%
योग	4284	1173	27.38%

अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए सामान्य कल्याण के उपाय करने हेतु सभी कार्यालयों को निर्देश दिये गए हैं कि डॉ.बी.आर.अम्बेदकर, महर्षि वाल्मीकि जी और गुरू रवि दास जी के जन्म दिवस के अवसर पर यदि अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा मांग की जाए तो निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं:-

- i) 1 रूपया प्रति कि.मी. के टोकन शुल्क पर शोभा यात्रा के लिए बस सुविधाएं।
- ii) उपरोक्त अवसरों पर समारोह हेतु निःशुल्क सभा भवन।

बीबीएमबी के सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि संगठन प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी, नित्य विशेष रूप से डॉ.बी.आर.अम्बेदकर जयन्ती, महर्षि वाल्मीकि जी जयन्ती आदि के अवसर पर अपने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों/स्टाफ से मुलाकात किया करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त, बीबीएमबी ने सभी चयन समितियों में अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता/वरिष्ठ कार्यकारी अभियन्ता के स्तर का एक अनुसूचित जाति का सदस्य नामित करके अनुसूचित जाति के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया है।

10.3 प्रबंधन-कर्मचारी संबंध

स्टाँफ/यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ प्रबंधन की बैठकों का समय-समय पर आयोजन किया जाता है और यूनियनों द्वारा उठाई गई मांगों और उनकी शिकायतों का मैत्रीपूर्ण भाव से निपटारा किया जाता है।

10.4 सतर्कता संगठन का ध्येय : सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी

बीबीएमबी में सतर्कता संगठन, सुरक्षात्मक सतर्कता के उपाय के रूप में बीबीएमबी के सभी कर्मचारियों के मन में निम्नलिखित बातें बैठाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है:-

- (i) मामलों में किसी की भी ओर से देरी की प्रवृत्ति की जांच और नियन्त्रण करना।
- (ii) आदेशों के गुण दोषों का उल्लेख करते हुए फाइलों पर स्व-स्पष्ट आदेश स्पष्ट शब्दों में रिकार्ड करना।
- (iii) किसी सहयोगी, वरिष्ठ अथवा अधीनस्थ द्वारा दिए गए किसी भी ऐसे सुझाव को हमेशा ग्रहण करना जिसके परिणामस्वरूप राजकोष में बचत हो।
- (iv) संवेदनशील स्थानों की पहचान तथा ध्यान केन्द्रित करना, ऐसे संस्थानों की नियमित तथा औचक जाँच/निरीक्षण करना।
- (v) भ्रष्टाचार के संदिग्ध कार्मिकों की पहचान, पब्लिक डीलिंग, स्थापना तथा परचेज संबंधित कार्य में संलिप्त, संवेदनशील पदों पर तैनात कार्मिकों की उचित छटनी तथा सीवीसी दिशा-निर्देशों के अनुरूप उनकी प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात रोटेशन करना।
- (vi) भ्रष्टाचार के पनपने वाले सभी स्थानों पर नज़र रखना।
- (vii) स्वयं तुष्टिकरण के कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों का निर्भयता से विरोध करना।
- (viii) सादा जीवन व्यतीत करना और ईमानदारी के कार्य करने में गर्व अनुभव करना।
- (ix)
- (x)

- (xi) नियमों, प्रक्रियाओं, हिदायतों, नियम-पुस्तिकाओं आदि का सावधानीपूर्वक अनुसरण करना।
- (xii) नियमों में कोई अस्पष्टता होने की स्थिति में अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से अतार्किक एवं विवादास्पद निष्कर्ष निकालने से बचना।
- (xiii) ईमानदार तथा संदिग्ध अखंडता वाले कार्मिकों की सूची तैयार करना है और यह सुनिश्चित किया जाना कि संदिग्ध अखंडता वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को संवेदनशील पदों पर तैनात नहीं किया जाए।
- (xiv) पैतृक राज्यों/राज्य बिजली बोर्डों से जाँच और निर्णय प्राप्त करने के लिए उन पर अनुवर्ती कार्रवाई शीघ्र पूरी करना।
- (xv) बिना किसी विलम्ब के अनुशासनात्मक कार्यवाई का क्रियन्वयन करना।
- (xvi) □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ ित्र परामर्श जारी किए गए ।
- (xvii) □□□□□□□□ की कार्य प्रणाली के जागरूकता में सुधार होने के साथ-साथ प्रणाली में सुधार लाने हेतु समय-समय पर परिपत्र जारी करना ।

वर्ष 2020-21 के दौरान (01.04.2020 से 31.03.2021 तक) 29 शिकायतें प्राप्त हुईं । 27 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है और 02 शिकायतों की जांच की जा रही है

उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 28.10.2020 से 02.11.2020 तक बीबीएमबी कार्यालयों चंडीगढ़ के साथ-साथ परियोजना स्थलों पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2020 मनाया गया। अभियान मोड में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के हिस्से के रूप में विभिन्न गतिविधियां भी चंडीगढ़, नंगल, तलवाड़ा, सुंदरनगर, पानीपत और भिवानी में "सतर्क भारत, समृद्ध भारत" विषय के साथ आयोजित की गईं।

10.5 बीबीएमबी में संघ की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड में अधिकारियों की नियुक्ति मुख्यतः इसके भागीदार राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से स्थानान्तरण आधार पर की जाती है। इनमें से 60% स्टाफ पंजाब राज्य/पंजाब राज्य पावर निगम लिमिटेड से है, जिनकी मातृ-भाषा पंजाबी है और जो अपना समस्त सरकारी काम-काज मुख्यतः पंजाबी अथवा अंग्रेजी में ही करते हैं। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत बीबीएमबी में भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन अत्यन्त कठिन कार्य रहा है। एक समय था जब बोर्ड में केवल 4-5% कार्य ही हिंदी में किया जाता था, हालांकि उच्च अधिकारियों की वचनबद्धता और विशेषज्ञ मार्गदर्शन के कारण बोर्ड के सरकारी कार्य में हिन्दी का प्रयोग तीव्र गति से बढ़ा है।

राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बोर्ड द्वारा सभी प्रयास किए जाते हैं और लक्ष्यों की तुलना में बोर्ड द्वारा प्राप्त प्रगति का विवरण निम्न दिया गया है:-

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत बोर्ड सचिवालय तथा सम्पूर्ण बोर्ड द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान जारी किए गए कागजातों का विवरण निम्नलिखित है:-

	धारा 3 (3) के अन्तर्गत जारी कुल कागज़ात	केवल अंग्रेजी में जारी कागज़ात
बोर्ड सचिवालय	38	शून्य
सम्पूर्ण बोर्ड	2494	शून्य

हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर

बोर्ड सचिवालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाते हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर की स्थिति निम्नलिखित है-

	हिंदी में प्राप्त कुल पत्र	हिंदी में उत्तर	अंग्रेजी में उत्तर
बोर्ड सचिवालय	11553	9222	शून्य
सम्पूर्ण बोर्ड	373440	308548	शून्य

नोट : शेष पत्र फाइल किए गए।

हिंदी में पत्राचार

राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के लिए बीबीएमबी के अधिकारियों/कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों के दौरान बोर्ड सचिवालय एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों के द्वारा हिंदी में भेजे गए पत्रों में अत्यधिक वृद्धि हुई है और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड सचिवालय द्वारा औसतन 99.6% तथा सम्पूर्ण बोर्ड द्वारा 96.8% पत्र हिंदी में भेजे गए हैं, जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

	कुल पत्र	हिंदी में भेजे गए	अंग्रेजी में भेजे गए
बोर्ड सचिवालय	29992	29873	119
सम्पूर्ण बोर्ड	485646	470464	15182

हिंदी में टिप्पणी

लगभग 93.8 % टिप्पणियां हिंदी में लिखी जाती हैं।

हिंदी में श्रुतलेख

अधिकारियों द्वारा 75% श्रुतलेख हिंदी में दिए गए ।

हिंदी टंककों/आशुलिपिकों की भर्ती

बीबीएमबी में शत प्रतिशत हिंदी/द्विभाषी टंककों/आशुलिपिकों की ही भर्ती की जाती है।

पुस्तकालय के लिए हिंदी पुस्तकों की खरीद

वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड सचिवालय के पुस्तकालय के लिए खरीदी गई हिंदी पुस्तकों पर खर्च की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:

पुस्तकों की खरीद पर कुल व्यय	हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय
रू 26007/-	रू 21047/- (81%)

कम्प्यूटर

बोर्ड में अभी तक 540 कम्प्यूटर और 16 लैपटॉप उपलब्ध है, सभी कम्प्यूटरों/लैपटॉप पर द्विभाषी (हिंदी/अंग्रेजी) सुविधा उपलब्ध है।

वेबसाइट

बीबीएमबी की वेबसाइट द्विभाषी अर्थात हिन्दी और अंग्रेजी में है। वेबसाइट पर दोनों ही भाषाओं में दी गई जानकारी नियमित रूप से अद्यतन की जाती है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

बीबीएमबी के सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है और इस समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड सचिवालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:-

तिमाही	बैठक की तिथि
अप्रैल-जून	25 जून, 2020
जुलाई-सितम्बर	16 अक्टूबर, 2020
अक्टूबर-दिसम्बर	29 दिसम्बर, 2020
जनवरी-मार्च	31 मार्च 2021

हिंदी कार्यशाला:

वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड सचिवालय में निम्नलिखित कार्यशालाएं/राजभाषा सेमिनार आयोजित किए गए:-

तिमाही	कार्यशाला की तिथि
अप्रैल-जून	26 जून, 2020
जुलाई-सितम्बर	18 सितम्बर, 2020
अक्टूबर-दिसम्बर	31 दिसम्बर, 2020
जनवरी-मार्च	31 मार्च 2021

हिंदी माह/पखवाड़ा

बोर्ड सचिवालय तथा सभी अधीनस्थ कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष सितम्बर, माह में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड सचिवालय में दिनांक 01 सितम्बर, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

हिंदी पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं:-

1. हिंदी शब्द-ज्ञान प्रतियोगिता,
2. कम्प्यूटर पर हिंदी टंकण प्रतियोगिता,
3. हिंदी निबंध एवं अनुवाद प्रतियोगिता,
4. हिंदी नोटिंग व ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता,
5. हिन्दी काव्य पाठ प्रतियोगिता

इन प्रतियोगिताओं में अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः रु 3,000/-, रु 2,500/-, तथा रु 2,000/- के नकद पुरस्कार दिए गए। प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अपना ज्यादा से ज्यादा सरकारी काम-काज हिंदी में करने वाले 27 कर्मचारियों को भी नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

□□□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□क 23 अक्टूबर, 2020 □□
□□□□□□□□ □□□□□ समारोह आयोजित किया गया।

द्विभाषी/हिंदी प्रकाशन

बोर्ड द्वारा निम्नलिखित सामग्री/पुस्तकें द्विभाषी हिन्दी में प्रकाशित की गई हैं :-

- वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

- बीबीएमबी समाचार (गृह पत्रिका)
- समाचार पत्रों में प्रकाशित समस्त सामग्री
- बीबीएमबी जनता कॉरपोरेट ब्रोशर
- “जीवन धारा” पत्रिका
- बेहतर सतर्कता अनुपालन के लिए क्या करें और क्या न करें ।
- बोर्ड की डायरी और कैलेण्डर।
- टेलीफोन डायरेक्टरी।
- उक्त के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अब तक निम्नलिखित अन्य पुस्तकों का भी प्रकाशन किया गया है :-
- प्रशासनिक शब्दावली
- राजभाषा सहायक पुस्तक
- तकनीकी शब्दावली
- भाखड़ा ब्यास की कहानी
- ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना

दो शब्द

कर्मचारियों को दिन प्रतिदिन का सरकारी कार्य हिन्दी में करने हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए एक श्वेत पट्ट पर दो शब्द अंग्रेजी के और उनके हिन्दी पर्याय रोज़ाना प्रदर्शित किए जाते हैं।



अध्याय-11 Chapter-11

परामर्शी सेवाएं Consultancy Services



अध्याय-12 Chapter-12

सूचना का अधिकार Right to Information

12. जन शिकायते/□□.□□.□□

सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 को 12 अक्टूबर, 2005 से प्रदर्शित कर पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया गया है। यह अधिनियम सरकारी कार्यालयों में प्राकट्य पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सूचना के अधिकार के व्यावहारिक शासन को स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। बीबीएमबी ने अक्षरशः अधिनियम को अपनाया तथा लागू किया। अधिनियम के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया गया। बीबीएमबी ने भिन्न-भिन्न प्रशासनों/स्थानों पर नौ सहायक जन सूचना अधिकारियों (एपीआईओज़) एवं आठ जन सूचना अधिकारियों (पीआईओज़) को नामित किया है। अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार आठ अपीलीय प्राधिकारियों को भी नामित किया गया है। बीबीएमबी की कार्यालयीन वेबसाइट (www.bbmb.gov.in) इन अधिकारियों के कार्यालयीन पदनाम, पते और दूरभाष नं. दर्शाती है। सूचना हेतु आवेदन करने संबंधी प्रक्रिया का विस्तृत विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैनुअल नं.17 के बारे में जानकारी जोकि आरटीआई अधिनियम की धारा 4 (2) के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई है, वेबसाइट पर उपलब्ध है। सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर सूचना का अद्यतन किया जाता है। अपील अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की मांग तथा अन्य संबंधित विवरण नीचे दिए गए □□□□□□□-1 में दर्शाए □□ □□□:

